

राज्य सरकारों के वित्त - 2007-08: मुख्य बातें*

यह लेख 2007-08 के लिए राज्य सरकारों के बजटों की मुख्य बातों को प्रस्तुत करता है। “राज्यों के वित्त : वर्ष 2007-08 के बजटों का अध्ययन” में एक विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है जो दिसंबर 2007 में प्रकाशित हुआ था।¹

राज्य सरकारों ने वर्ष 2007-08² के लिए अपने बजटों को एक ऐसे परिवेश में प्रस्तुत किया जिसमें राजकोषीय त्रुटिसुधार और समेकन को अपनाने पर लगातार बल दिया जाता रहा है। अब तक 26 राज्यों के द्वारा क्रमिक रूप से राजकोषीय जबाबदेही विधान (एफआरएल) का कानून बनाये जाने से राज्य सरकारों के लिए नियम आधारित राजकोषीय शासन का प्रारंभ हुआ। मैक्रो इकॉनॉमिक आधारभूत तत्वों की बढ़त के कारण कर में आए उफान के साथ-साथ बारहवें वित्त आयोग (टीएफसी) की संस्तुतियों के आधार पर राज्यों को केंद्र से प्राप्त बड़ी मात्रा में राजस्व के डिवोल्यूशन तथा अन्य अंतरणों के कारण राजकोषीय असंतुलनों को कम करने में राज्य सरकारों के प्रयासों को सहायता मिली। इसके अलावा उत्तर प्रदेश को छोड़कर सभी राज्यों ने बिक्री कर के बदले मूल्यवर्धित कर (वैट) लागू किया जो राज्यों के कर राजस्व में वृद्धि करने में अनर्हक रूप से सफल रहा।

वर्ष 2007-08 का बजट पेश करते समय राज्य सरकारों ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) में यथानिर्धारित प्राथमिकताओं को ध्यान में रखा। मानव संसाधन विकास की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने की दिशा में 2007-08 में सामाजिक क्षेत्र के व्यय को अधिक आबंटन देते हुए बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में आधारभूत संरचना

* आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग (आविनीवि) के राज्य और स्थानीय वित्त प्रभाग में आविनीवि के केंद्रीय वित्त प्रभाग तथा क्षेत्रीय कार्यालयों की सहायता से तैयार। रिजर्व बैंक के सरकारी और बैंक लेखा विभाग (सबैलेवि) और आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग (आंक्रप्रवि) की सहायता भी प्राप्त हुई। 28 राज्य सरकारों के वित्त विभागों, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुदुचेरी से प्राप्त तकनीकी सहायता तथा वित्त मंत्रालय, भारत सरकार तथा योजना आयोग से प्राप्त मूल्यवान सूचनाओं के लिए धन्यवाद सहित आभार।

1. रिजर्व बैंक की वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर विस्तृत लेख उपलब्ध है।
2. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को सम्मिलित करते हुए 29 राज्यों के 2007-08 के राज्य बजटों पर आधारित राज्य सरकारों की समेकित राजकोषीय स्थिति का विश्लेषण भारतीय रिजर्व बैंक वार्षिक रिपोर्ट, 2006-07 में प्रकाशित हो चुका है। यह अध्ययन 28 राज्य सरकारों के बजट को कवर करता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुदुचेरी के संबंध में दी गई जानकारी ज्ञापन मद के रूप में है। यह अध्ययन विस्तृत समेकित राजकोषीय स्थिति और साथ ही राज्यवार विश्लेषण, जिसमें बजट संबंधी आंकड़े तथा राज्य सरकारों और भारत सरकार से प्राप्त अतिरिक्त जानकारियां सम्मिलित हैं, उपलब्ध कराता है।

विकास को प्रदान की गई प्राथमिकता के दृष्टिगत राज्य सरकारों ने विभिन्न परियोजनाओं, विशेष रूप से पॉवर और सड़क, के कार्यान्वयन को योजना में सम्मिलित किया है। कई राज्य सरकारों ने आधारभूत परियोजनाओं का कार्यान्वयन सरकारी-निजी साझेदारी (पीपीपी) के जरिए करना प्रस्तावित किया है। राज्य सरकारों ने जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीयन मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत शहरी आधारभूत संरचना के विकास का काम भी प्रारंभ किया है।

राज्य सरकारों ने 2007-08 के अपने बजटों में राजकोषीय त्रुटिसुधार और समेकन की प्रक्रिया को आगे ले जाने के लिए विभिन्न नीतियों की पहल का प्रस्ताव किया है जिसमें किये गये उपायों के परिणामस्वरूप राजस्व में वृद्धि होगी तथा व्यय प्रबंधन में सुधार आएगा। अपने राजस्व में वृद्धि के लिए राज्य सरकारों ने कर संरचना में सरलीकरण/युक्तिसंगतिकरण, बेहतर प्रवर्तन और कर अनुपालन के जरिए और अधिक संसाधन जुटाने के उपायों की घोषणा की है। कुछ राज्यों ने पॉवर, जल और यातायात पर उपभोक्ता प्रभारों की पुनरीक्षा करने का प्रस्ताव किया है। परिणामोन्मुखी बजट फ्रेमवर्क अंगीकार करने के परिणामस्वरूप कुछ राज्यों ने निगरानी किए जानेयोग्य निष्पादन सूचकों के जरिए परिव्यय लागत को पारिभाषित परिणामों में बदलने पर जोर दिया है। कुछ राज्यों ने राज्य में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की कार्यप्रणाली और उनकी पुनर्संरचना की विस्तृत समीक्षा किए जाने पर बल दिया है। विद्युत बोर्डों की वित्तीय अर्थक्षमता की बहाली के लिए कुछ राज्यों ने पॉवर क्षेत्र में सुधार प्रारंभ करने के लिए केंद्र सरकार के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किये हैं। कुछ राज्यों ने विभिन्न विकासात्मक योजनाओं में महिला

सशक्तीकरण और उनकी सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए “ लिंग आधारित बजट ” प्रचालित करने का प्रस्ताव किया है।

भारत सरकार ने राज्य सरकारों के विकासात्मक कार्यों में सहायता उपलब्ध कराने की दिशा में पहल कदमी करते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, कृषि बीमा इत्यादि क्षेत्रों में उपायों की घोषणा की है। रिजर्व बैंक अपनी ओर से राज्य सरकारों को कई मुद्दों पर परामर्श देता रहा है और साथ ही उन्हें अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) और ओवरड्राफ्ट (ओडी) तथा बाजार उधारी उपलब्ध कराता रहा है। रिजर्व बैंक ने उच्च लागत वाले ऋण का पूर्व भुगतान करने, राज्य सरकार की प्रतिभूतियों की नीलामियों में गैर प्रतियोगी बोली लागू करने और नकदी शेष का निवेश करने में राज्य सरकारों को सहायता उपलब्ध करायी है।

राजकोषीय त्रुटिसुधार और समेकन की दिशा में अग्रसर राजकोषीय और संस्थागत सुधारों के साथ-साथ टीएफसी की संस्तुतियों का कार्यान्वयन और मैक्रो इकॉनॉमिक आधारभूत तत्वों में दृढ़ता के कारण कर में आए उफान ने 2005-06 से राज्य सरकारों की समेकित राजकोषीय स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार लाने में अपना योगदान किया है। राज्य स्तर पर सुधार प्रक्रिया को मजबूत करने में राज्य सरकारों, केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक द्वारा प्रारंभ किये गये सुधार उपायों का उल्लेख आगे मिलेगा। इसके पश्चात 2005-06 (लेखा), 2006-07 (संशोधित अनुमान) और 2007-08 (बजट अनुमान) पर चर्चा की गई है। राज्य सरकारों को राजकोषीय अंतरण विषय पर चर्चा एक विशेष विचार के रूप में उपलब्ध करायी गई है। निष्कर्षात्मक टिप्पणियों को अंत में रखा गया है।

नीति घटनाक्रम

राज्य सरकारों की नीतिगत पहल

2007-08 के अपने बजटों में राज्य सरकारों राजकोषीय त्रुटिसुधार और समेकन की प्रक्रिया को आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध रहीं और उन्होंने राजस्व वृद्धि, व्यय प्रबंधन और संस्थागत विकास के लिए तमाम नीतिगत उपायों की घोषणाएं कीं। राज्यों ने जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत शहरी आधारभूत संरचना का विकास कार्य भी प्रारंभ किया। राज्यों ने पीपीपी फ्रेमवर्क के जरिए आधारभूत संरचना परियोजनाओं के कार्यान्वयन का प्रस्ताव भी किया।

अपने बजटों में राज्य सरकारों ने आम तौर पर कर प्रशासन में सुधार लाने पर बल दिया। ये सुधार नियमों और प्रक्रियाओं को सरल बनाकर, कर की दरों को सुसंगत करके तथा कर वसूली की प्रणाली को आसान बनाकर और बेहतर कर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पारदर्शिता अपनाकर किये जाने थे। उत्तर प्रदेश को छोड़कर सभी राज्य सरकारों ने और दोनों संघशासित क्षेत्रों अर्थात् राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुदुचेरी ने कानून बनाकर वैट लागू किया। केवल कुछ राज्यों ने विशिष्ट क्षेत्रों/उद्योगों को प्रोत्साहन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कतिपय करों को कम करने का प्रस्ताव किया। गुजरात और पश्चिम बंगाल ने पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के प्रयोजनार्थ लक्जरी कर में कटौती की घोषणा की। हरियाणा ने राज्य में ऊर्जा/पॉवर बचत को प्रोत्साहित करने के लिए ऊर्जा/पॉवर बचत वाले उपकरणों पर कर राहत की घोषणा की। राज्य सरकारों ने अपने करेतर राजस्वों में वृद्धि की आवश्यकता पर भी बल दिया।

राज्य सरकारों ने व्यय प्रबंधन और गैर-योजना राजस्व व्ययों को नियंत्रित करने पर बल देने के अपने प्रयासों को जारी रखा। एक ओर कई राज्यों ने भर्ती और नए पदों के सृजन पर रोक पहले ही लगा रखी थी, वहीं नागालैंड ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना तथा नए पदों के सृजन पर रोक का प्रस्ताव किया। राज्य सरकारों ने वेतन व्यय कम करने की आवश्यकता को प्रमुखता दी और प्रशासनिक व्यय घटाने के उपायों का प्रस्ताव किया। व्यय प्राथमिकता निर्धारण के लक्ष्य को ध्यान में रखकर राज्य सरकारों ने समाज के कमजोर वर्गों के लिए कई विकासात्मक योजनाओं का प्रस्ताव किया। कई राज्य सरकारों ने, आंध्र प्रदेश की सरकार भी सम्मिलित है, आबादी के अत्यधिक गरीब वर्गों तथा जनजाति समूहों के लिए बीमा योजनाओं का प्रस्ताव किया। प्राकृतिक आपदाओं के कारण हानि से सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ ने कृषकों के लिए बीमा योजना का प्रस्ताव किया, जबकि गोवा ने लघु और सीमान्त किसानों को अग्नि दुर्घटना खतरों से बचने के लिए बीमा सुरक्षा देने का प्रस्ताव किया। कई राज्य सरकारों ने बीमा योजनाओं की व्याप्ति में विस्तार करने और वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और विकलांग व्यक्तियों के लिए पेंशन की दरों में वृद्धि करने की घोषणा की (हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, सिक्किम, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल)।

पिछले कुछ वर्षों में राज्य सरकारों ने विभिन्न संस्थागत उपायों जैसे- गारंटियों और राजकोषीय जिम्मेदारी के संबंध में कानून बनाना, को अंगीकार किया। ये उपाय राजकोषीय अनुशासन को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए किए गए थे। तीन राज्य सरकारों यथा - जम्मू और कश्मीर (अगस्त 2006), मिजोरम (अक्टूबर 2006) और झारखंड (मई 2007) ने

राजकोषीय जबाबदेही विधेयक (एफआरएल) को अधिनियमित किया जिसमें विभिन्न राजकोषीय मानदंडों के लिए लक्ष्य रखे गए थे। इस प्रकार एफआरएल अधिनियमित करनेवाले कुल राज्यों की संख्या 26 हुई। राज्यों ने नई पेंशन योजना लागू करने, समेकित ऋणशोधन निधि (सीएसएफ) और गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) स्थापित करने और गारंटियों पर उच्चतम सीमा लागू करने जैसे उपायों का भी कार्यान्वयन किया है। अधिकतर राज्य सरकारों ने लक्ष्य निर्धारित प्रयोजनों यथा - कृषिकीय प्रौद्योगिकीय प्रबंध प्राधिकारी (बिहार), ज्ञान प्रोत्साहन योजना (छत्तीसगढ़), महिला रोजगार कार्यालय (गुजरात), ग्रामीण विकास (हरियाणा और उत्तर प्रदेश), उद्योगों (जम्मू और कश्मीर) को दी गई रियायतों को युक्तिसंगत करने इत्यादि के लिए समितियां/संस्थाएं/योजनाएं स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। कुछ राज्यों ने यूनियन बजट 2007-08 में घोषित आम आदमी बीमा योजना (एएबीवाइ) के नाम से प्रारंभ की गई नयी योजना के अनुसरण में बीमा योजनाएं लागू करने का प्रस्ताव भी किया है। कुछ राज्य अपने राज्यों की विद्यमान योजनाओं को एएबीवाइ से जोड़ने की संभावना तलाशेंगे। कई राज्य सरकारों ने (असम और छत्तीसगढ़) कोऑपरेटिव बैंकों को सशक्त करने के लिए वैद्यनाथन समिति की संस्तुतियों को कार्यान्वित करने का निर्णय किया है। कई राज्य सरकारों ने स्थानीय निकायों की बृहद् भूमिका के लिए प्रस्ताव किया है।

राज्य सरकारों ने कई योजनाओं का प्रस्ताव किया है जो विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र से जुड़ी हैं। लगभग सभी राज्य सरकारों ने अपने राज्यों में आबादी के सर्वाधिक बड़े भाग को बेसिक

और उच्च शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए नए (विद्यमान) विद्यालयों/महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों की स्थापना (अपग्रेड/उन्नयन) का प्रस्ताव किया है। राज्य सरकारों ने रोजगार गारंटी योजना का विस्तार करने की घोषणा की है ताकि इसके अंतर्गत अधिक जिले लाए जा सकें। राज्य सरकारों ने सिंचाई सुविधाओं और ग्रामीण तथा साथ ही शहरी क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति में सुधार लाने के लिए पहल करने की घोषणा की है। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु सरकार ने अपने राज्यों के चाय बागानों को संशोधित और नया जीवन देने के लिए उपायों की घोषणा की है। कुछ राज्यों (पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा) ने बागवानी और फूलों की खेती परियोजनाओं पर भी अधिक बल दिया।

भारत सरकार की पहल

भारत सरकार विभिन्न उपायों के माध्यम से राज्य सरकारों की सुधार प्रक्रिया को सहायता देती है। भारत निर्माण के तहत 8 प्रमुख (फ्लैगशिप) कार्यक्रमों की प्रगति राज्य सरकारों की विकास प्रक्रिया को लगातार सहायता देती रहेगी। यूनियन बजट 2007-08 में भारत सरकार ने राज्य सरकारों को उनके विकासात्मक और सामाजिक कार्यों में सहायता करने के लिए तमाम पहलकदमियों का उल्लेख किया है। केंद्र ने पोलियो उन्मूलन कार्य को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के साथ जोड़ दिया है। असंगठित श्रमिकों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना प्रारंभ करने की दिशा में संघ सरकार ने मृत्यु और विकलांगता बीमा कवर को भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआइसी) के माध्यम से ग्रामीण भूमिहीन गृहस्वामियों को उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया है जिसे “आम आदमी बीमा योजना” के नाम से जाना

जाता है। 'प्रशिक्षण और दौरा', जिसके अंतर्गत कृषि से जुड़े विस्तार श्रमिकों ने 1960 की हरित क्रांति के दौरान किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया था, नाम के कार्यक्रम को पुनर्जीवित करने और उसे दोहराने की दिशा में कृषि मंत्रालय एक नया कार्यक्रम राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके तैयार करेगा। केंद्र ने नारियल जूट उद्योग का आधुनिकीकरण करने और प्रौद्योगिकी उन्नयन करने की योजना, जिसमें नारियल जूट उत्पादन करनेवाले केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा जैसे प्रमुख राज्यों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, की घोषणा की है। केंद्र और राज्यों के बीच आपसी सहमति के आधार पर यूनियन बजट में केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी) को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने का प्रस्ताव किया गया है, जिसका प्रारंभ 1 अप्रैल 2007 से सीएसटी दर को 4 प्रतिशत से घटाकर 3 प्रतिशत करके किया जा रहा है। केंद्र और राज्यों के बीच चल रहे को-ऑपरेटिव राजकोषीय विकेंद्रण की भावना को ध्यान में रखते हुए संघ बजट में घोषणा की गई है कि 1 अप्रैल 2010 से राज्य वित्त मंत्रियों की एक शक्तिप्राप्त समिति राष्ट्रीय स्तर पर माल और सेवा कर (जीएसटी) लागू करने के लिए रोडमैप तैयार करेगी।

रिजर्व बैंक की पहलकदमियां

राज्य सरकारों के बैंकर के रूप में और लोक ऋण के प्रबंधक के रूप में रिजर्व बैंक राजकोषीय मुद्दों पर राज्य सरकारों को जागरूक कर रहा है। इस दिशा में रिजर्व बैंक राज्य सरकारों के वित्त से जुड़े मुद्दों के प्रति परामर्शी दृष्टिकोण स्थापित करने के लिए 1997 से राज्य वित्त सचिवों का द्विवार्षिक सम्मेलन आयोजित करता रहा है।

अधिक नकदी शेष और ऐसे शेष के निवेश पर अर्जित ऋणात्मक स्प्रेड की समस्या के कारण कुछ राज्य सरकारों ने रिजर्व बैंक से संपर्क किया और कहा कि वह उनके बकाया राज्य विकास ऋणों (एसडीएल) की पुनर्खरीद के लिए व्यवस्था करे। तदनुसार रिजर्व बैंक ने भारत सरकार की सहमति से एसडीएल की पुनर्खरीद के लिए एक सामान्य योजना तैयार की। एसडीएल में निवेशक आधार को विस्तार देने के इरादे से वार्षिक नीतिगत वक्तव्य, अप्रैल 2006 में गैर-प्रतियोगी बोली (जो वर्तमान में केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों तक ही सीमित है) की सुविधा एसडीएल की प्राथमिक नीलामी के लिए देने का प्रस्ताव किया गया। 'गैर-प्रतियोगी बोली सुविधा' से संबंधित योजना के आवश्यक प्रावधानों को जुलाई 2007 में सभी राज्य सरकारों द्वारा जारी संशोधित सामान्य अधिसूचना में सम्मिलित किया गया है। यह योजना शीघ्र ही परिचालन में आ जाएगी। अपने वार्षिक नीतिगत वक्तव्य, 2006-07 में रिजर्व बैंक ने एक स्थायी तकनीकी समिति (एसटीसी) के गठन का प्रस्ताव किया था। इस समिति का गठन "राज्य वित्त सचिवों के सम्मेलन, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों के उधार कार्यक्रमों से संबंधित बहुआयामी मुद्दों पर परामर्श देने के लिए (आपसी सहमति और सहकारिता का दृष्टिकोण अपनाते हुए) केंद्र और राज्य सरकारों तथा रिजर्व बैंक का प्रतिनिधित्व रहेगा, की छत्रछाया में किया जाना है।" एसटीसी का गठन दिसम्बर 2006 में किया गया। राज्यों को बाह्य सहायता का दुतरफा आदान-प्रदान करने के संदर्भ में रिजर्व बैंक ने राज्य सरकार के अधिकारियों के लाभार्थ विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन पर एक कार्यशाला का आयोजन मई 2007 में किया। राज्यों ने अपने बजटों में से एक अलग फंड

रखकर विदेशी मुद्रा के लिए वैकल्पिक प्रणाली का भी प्रस्ताव किया था, जहाँ रिजर्व बैंक से उम्मीद की जाती है कि वह सीएसएफ की तरह ही इन निधियों का प्रबंधन करने में अपनी भूमिका का निर्वाह करे। अगस्त 2007 में संपन्न राज्य वित्त सचिवों के 20वें सम्मेलन में इन प्रस्तावों पर चर्चा की गई। 24 जनवरी 2007 को संपन्न राज्य वित्त सचिवों के 19वें सम्मेलन में नीलामी विधि से एसडीएल जारी करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा बैंकों/अन्य पात्र निकायों को दलाली और कमीशन का भुगतान करने की समीक्षा की गई। जुलाई 2007 में सभी राज्य सरकारों द्वारा जारी की गई सामान्य अधिसूचना के अनुसरण में नीलामी विधि से जारी एसडीएल के मामलों में बैंकों/अन्य पात्र निकायों को दलाली/कमीशन का भुगतान बंद कर दिया गया था। अप्रैल 2007 के वार्षिक नीतिगत वक्तव्य में प्रस्तावित था कि इस प्रकार की प्रतिभूतियों के महत्वपूर्ण भंडार का निर्माण करके इसके द्वारा द्वितीयक चलनिधि में सुधार लाने के इरादे से राज्य सरकारों के परामर्श से एसडीएल को पुनः जारी करने की प्रथा लागू की जा सकती है। राज्य सरकारों से प्राप्त प्रतिसाद/फीडबैक को ध्यान में रखकर एसडीएल को पुनः जारी करने की प्रणाली लागू करने की संभाव्यता का परीक्षण किया जा रहा है।

लेखे : 2005-06

2005-06 के संशोधित अनुमान (आरई) के लेखे तैयार किए जाने पर राज्य सरकारों के घाटे के प्रमुख सूचकों यथा - राजस्व घाटा (आरडी), सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी) और प्राथमिक घाटा (पीडी) में महत्वपूर्ण रूप से कमी आई। 2005-06 (आरई) और 2005-06 (लेखे) के मध्य आरडी और जीएफडी में क्रमशः 12,813 करोड़ रुपए (64.6 प्रतिशत) और 22,338 करोड़ रुपए (19.9

प्रतिशत) की तीव्र कमी आई। प्राथमिक घाटे में भी 19,070 करोड़ रुपए (75.9 प्रतिशत) की तीव्र कमी आई। 2005-06 (लेखे) में जीडीपी की तुलना में आरडी, जीएफडी और पीडी क्रमशः 0.2 प्रतिशत, 2.5 प्रतिशत और 0.2 प्रतिशत रहे जबकि संशोधित अनुमानों में ये क्रमशः 0.6 प्रतिशत, 3.2 प्रतिशत और 0.7 प्रतिशत थे। 2005-06 (लेखे) के राजस्व लेखा में हुआ सुधार आम तौर पर राजस्व व्ययों में आई तीव्र कटौती के कारण था, विशेषकर गैर-ब्याज राजस्व व्यय के कारण था जिसमें 22,928 करोड़ रुपए (6.1 प्रतिशत) की कमी आई (सारणी 1)।

राजस्व लेखे में विकासात्मक व्यय में 17,160 करोड़ रुपए की महत्वपूर्ण कमी आई जिसके कारण राजस्व व्यय में 65.5 प्रतिशत की कमी आई। गैर-विकासात्मक राजस्व व्यय में भी 2005-06 (आरई) की तुलना में 2005-06 के दौरान 9,296 करोड़ रुपए की कमी दर्ज हुई। राज्यों के स्वयं के कर-राजस्व में और केंद्र से मिलनेवाले अनुदान में कमी के कारण उनकी राजस्व प्राप्तियों में 13,384 करोड़ रुपए की कमी आई जिसकी आंशिक भरपाई केंद्रीय करों में राज्यों के हिस्से में और राज्यों के गैर-राजस्व करों में वृद्धि करके पूरी की गई। पूंजी परिव्यय में भी 6207 करोड़ रुपए (7.4 प्रतिशत) की कमी हुई जिसका परिमाण पूंजी व्यय में हुई कमी की तुलना में उच्च था। पूंजी परिव्यय में कमी विशेष रूप से ग्रामीण विकास (15.4 प्रतिशत), विशेष क्षेत्र कार्यक्रम (41.3 प्रतिशत), यातायात (7.9 प्रतिशत) और सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण (2.3 प्रतिशत) जैसे क्षेत्रों में थी। इस प्रकार राजस्व प्राप्तियों में जीडीपी के 0.4 प्रतिशत की कमी के बावजूद घाटे के मुख्य सूचकों में हुए समग्र सुधार का अंजाम था विकासात्मक व्यय में जीडीपी के 0.6 प्रतिशत की कमी (राजस्व और पूंजी दोनों) आना।

आशोधित अनुमान:2006-07

बजट अनुमान (बीई) के बरअक्स 2006-07 के आशोधित अनुमान की प्रवृत्ति से ज्ञात हुआ है कि आरडी में कमी परिलक्षित हुई है जो बजट अनुमान में जीडीपी के 0.2 प्रतिशत से घटकर आशोधित अनुमान में 0.1 प्रतिशत थी। राजस्व लेखे 2006-07 (आरई) में 22,654 करोड़ रुपए (4.5 प्रतिशत) की महत्वपूर्ण वृद्धि 2006-07 (बीई) की तुलना में हुई है, जो राजस्व व्ययों में हुई 19,872 करोड़ रुपए (3.8 प्रतिशत)

की वृद्धि की भरपाई करने के बाद भी अधिक है। राजस्व प्राप्तियों में जीडीपी के 0.6 प्रतिशत की हुई उल्लेखनीय वृद्धि मूलतः राज्यों के स्वयं के कर-राजस्व और केंद्रीय करों में उनके हिस्से में हुई वृद्धि के कारण थी जो क्रमशः राजस्व प्राप्तियों में हुई वृद्धि का 39.7 प्रतिशत और 27.9 प्रतिशत थी। राजस्व व्ययों के विकासात्मक घटक में जीडीपी के 0.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो ऊर्जा(पॉवर), प्राकृतिक आपदाओं, शिक्षा, ग्रामीण विकास और यातायात तथा संचार साधनों पर उच्च

सारणी 1 : प्रमुख मदों में घट-बढ़ - 2005-06 (संअ) की तुलना में 2005-06 (लेखा)

मद	घट-बढ़		अभिदान* (प्रतिशत)
	राशि (करोड़ में)	प्रतिशत	
1	2	3	4
I. राजस्व प्राप्तियां (i + ii)	-13,384	-3.0	100.0
(i) कर राजस्व (क + ख)	-3,262	-1.1	24.4
(क) स्व कर राजस्व	-4,563	-2.1	34.1
जिसमें से : बिक्री कर	-3,961	-3.0	29.6
(ख) केंद्रीय कर में अंश	1,302	1.4	-9.7
(ii) करेतर राजस्व	-10,122	-7.5	75.6
(क) राज्य का अपना कर - राजस्व	2,580	5.7	-19.3
(ख) केंद्र से अनुदान	-12,702	-14.2	94.9
II. राजस्व व्यय (i + ii)	-26,197	-5.6	100.0
(i) ब्याजेतर राजस्व व्यय	-22,928	-6.1	87.5
जिसमें से :			
शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	-4,930	-5.9	18.8
चिकित्सा, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	-2,217	-9.8	8.5
ऊर्जा	-276	-1.3	1.1
ग्रामीण विकास	-2,316	-11.6	8.8
कृषि एवं संबंधित कार्य	-1,341	-6.0	5.1
प्राशासनिक सेवाएं	-1,944	-5.4	7.4
पेन्शन	-1,768	-4.2	6.7
(ii) ब्याज भुगतान	-3,269	-3.7	12.5
III. पूंजीगत प्राप्तियां	10,242	6.6	100.0
IV. पूंजी व्यय	-5,875	-4.5	100.0
जिसमें से :			
पूंजी परिव्यय	-6,207	-7.4	105.6
जिसमें से :			
ग्रामीण विकास	-723	-15.4	12.3
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	-615	-2.3	10.5
विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	-900	-41.3	15.3
परिवहन	-1,244	-7.9	21.2
ज्ञापन मदें :			
राजस्व घाटा	-12,813	-64.6	
सकल राजकोषीय घाटा	-22,338	-19.9	
प्राथमिक घाटा	-19,070	-75.9	

संअ : संशोधित अनुमान * : संबंधित जोड़ में प्रतिशत अंश दर्शाते हैं ।

टिप्पणी : पूंजीगत प्राप्तियों में निवल आधार पर सार्वजनिक लेखा शामिल है जबकि पूंजी व्यय में सार्वजनिक लेखा शामिल नहीं है।

स्रोत : राज्य सरकार के बजट दस्तावेज ।

व्यय करने के कारण थी। पूंजी परिव्यय के लिए 10,399 करोड़ रुपए (11.0 प्रतिशत) का उच्च प्रावधान करने के कारण आरडी में आई कमी को दर-किनार करते हुए जीएफडी में 7,160 करोड़ रुपए (6.7 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। पूंजी परिव्यय में वृद्धि मुख्यतः आर्थिक सेवाओं जैसे- सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण, यातायात, ऊर्जा और शहरी विकास (सारणी 2) (विवरण 1 और 2 भी देखें) के क्षेत्रों में थी।

बजट अनुमान: 2007-08

2007-08 के दौरान राज्य सरकारों की समेकित राजकोषीय स्थिति घाटे के प्रमुख सूचकों के संदर्भ में सुधार दर्शाती है। सर्वाधिक ध्यान देने योग्य बात यह है कि समेकित राजस्व शेष 2007-08 के बजट अनुमान (बीई) में 11,973 करोड़ रुपए (जीडीपी का 0.3 प्रतिशत) अधिशेष के रूप में दर्ज हुआ है जबकि

सारणी 2 : प्रमुख मदों में घट-बढ़ - 2006-07 (संअ) की तुलना में 2006-07 (बअ)			
मद	घट-बढ़		अभिदान* (प्रतिशत)
	राशि (करोड़ रुपए)	प्रतिशत	
1	2	3	4
I. राजस्व प्राप्तियां (i+ii)	22.654	4.5	100.0
(i) कर राजस्व (क + ख)	15,318	4.3	67.6
(क) स्व कर राजस्व	9,001	3.6	39.7
जिसमें से : बिक्री कर	3,771	2.4	16.6
(ख) केंद्रीय कर में अंश	6,317	5.8	27.9
(ii) करेतर राजस्व	7,336	4.8	32.4
(क) राज्य का अपना करेतर राजस्व	3,672	7.1	16.2
(ख) केंद्र से अनुदान	3,664	3.7	16.2
II. राजस्व व्यय (i+ii)	19.872	3.8	100.0
(i) ब्याजेतर राजस्व व्यय	21,463	5.1	108.0
जिसमें से :			
शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	2,900	3.2	14.6
परिवहन और संचार	1,135	8.3	5.7
ऊर्जा	5,412	27.9	27.2
ग्रामीण विकास	1,592	7.7	8.0
कृषि एवं संबंधित कार्य	1,887	8.0	9.5
प्राकृतिक आपदा के कारण राहत	3,489	77.3	17.6
प्रशासनिक सेवाएं	-475	-1.1	-2.4
पेन्शन	-86	-0.2	-0.4
(ii) ब्याज भुगतान	-1,591	-1.6	-8.0
III. पूंजीगत प्राप्तियां	-8.475	-5.6	100.0
जिसमें से :			
बाजार उधार राशियाँ	3,290	-11.6	38.8
एनएसएसएफ को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियां	-2,516	-3.9	29.7
केंद्र से ऋण	-3,328	-24.6	39.3
ऋण तथा अग्रिमों की वसूली	3,156	59.3	-37.2
लघु बचत, भविष्य निधि, आदि (निवल)	551	5.3	-6.5
जमाराशियां और अग्रिम (निवल)	2,928	-253.8	-34.6
IV. पूंजी व्यय	13,290	9.7	100.0
जिसमें से :			
पूंजी परिव्यय	10,399	11.0	78.2
जिसमें से : शहरी विकास पर पूंजी परिव्यय	109	5.4	0.8
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण पर पूंजी परिव्यय	2,242	7.4	16.9
ऊर्जा पर पूंजी परिव्यय	1,270	13.4	9.6
परिवहन पर पूंजी परिव्यय	1,524	8.1	11.5
ज्ञापन मदें			
राजस्व घाटा	-2,782	-33.3	
सकल राजकोषीय घाटा	7,160	6.7	
प्राथमिक घाटा	8,752	92.5	
संअ : संशोधित अनुमान ।		बअ : बजट अनुमान ।	
* : संबंधित जोड़ में प्रतिशत अंश दर्शाते हैं ।			
टिप्पणी : सारणी 1 की टिप्पणी देखें ।			
स्रोत : राज्य सरकार के बजट दस्तावेज ।			

2006-07 (आरई) में 5,566 करोड़ रुपए का घाटा (जीडीपी का 0.1 प्रतिशत) हुआ था। प्रसंगवश यह उल्लेख करना आवश्यक है कि बजट में राजस्व अधिशेष का प्रावधान एफआरएल शर्तें और टीएफसी संस्तुतियों के आने से एक वर्ष पूर्व किया जा चुका था। बजट किए गए राजस्व अधिशेष के परिणामस्वरूप जीएफडी में 5,590 करोड़ रुपए (4.9 प्रतिशत) की कमी आएगी और इसके बाद यह 1,08,323 करोड़

रुपए (जीडीपी का 2.3 प्रतिशत) रहेगा। इसी प्रकार 2007-08 में बजट किए गए पीडी में 12,561 करोड़ रुपए (69.0 प्रतिशत) की कमी के बाद यह 5,648 करोड़ रुपए (जीडीपी का 0.1 प्रतिशत) पर रहेगा (सारणी 3)।

2007-08 के दौरान राजस्व लेखे में सुधार को परिकल्पित किया गया है जिसकी प्राप्ति मुख्यतः राजस्व प्राप्तियों में 14.2 प्रतिशत वृद्धि के द्वारा की

सारणी 3 : प्रमुख मदों में घट-बढ़ - 2006-07 (संअ) की तुलना में 2007-08 (बअ)

मद	घट-बढ़		अभिदान* (प्रतिशत)
	राशि (करोड़ रुपए)	प्रतिशत	
1	2	3	4
II. राजस्व प्राप्तियां (i+ii)	75.304	14.2	100.0
(i) कर राजस्व (क + ख)	57.405	15.4	76.2
(क) स्व कर राजस्व	36.958	14.4	49.1
जिसमें से : बिजली कर	24.860	15.7	33.0
(ख) केंद्रीय कर में अंश	20.447	17.7	27.2
(ii) करेतर राजस्व	17.899	11.3	23.8
(क) राज्यों का अपना करेतर राजस्व	3.534	6.3	4.7
(ख) केंद्र से अनुदान	14.366	14.0	19.1
II. राजस्व व्यय (i+ii)	57.765	10.8	100.0
(i) ब्याजेतर राजस्व व्यय	50.795	11.5	87.9
जिसमें से :			
शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	9.054	9.5	15.7
चिकित्सा, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2.672	10.7	4.6
ऊर्जा	-817	-3.3	-1.4
ग्रामीण विकास	2.481	11.2	4.3
कृषि एवं संबंधित कार्य	3.143	12.3	5.4
प्रशासनिक सेवाएं	6.556	15.4	11.3
पेन्शन	6.524	13.7	11.3
(ii) ब्याज भुगतान	6.971	7.3	12.1
III. पूंजीगत प्राप्तियां	17.805	12.4	100.0
जिसमें से :			
बाजार उधार राशियाँ	11,840	47.4	66.5
नाबार्ड से ऋण	1,657	20.4	9.3
एनएसएसएफ को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियां	-2,553	-4.1	-14.3
केंद्र से ऋण	4,721	46.3	26.5
ऋण तथा अग्रिमों की वसूली	-3,890	-45.9	-21.8
आरक्षित निधियां (निवल)	-543	-11.4	-3.0
विविध पूंजीगत प्राप्तियां	7,048	230.8	39.6
प्रेषण (निवल)	-364	-113.9	-2.0
IV. पूंजी व्यय	20,908	13.9	100.0
जिसमें से :			
पूंजी परिव्यय	13,854	13.2	66.3
जिसमें से :			
शहरी विकास पर पूंजी परिव्यय	390	18.5	1.9
जल सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण पर पूंजी परिव्यय	3,655	11.2	17.5
ऊर्जा पर पूंजी परिव्यय	4,221	39.2	20.2
परिवहन पर पूंजी परिव्यय	3,227	15.9	15.4
ज्ञापन मदें			
राजस्व घाटा	-17,539	-315.1	
सकल राजकोषीय घाटा	-5,590	-4.9	
प्राथमिक घाटा	-12,561	-69.0	
संअ : संशोधित अनुमान ।	बअ : बजट अनुमान ।		
* : संबंधित जोड़ में प्रतिशत अंश दर्शाती है।			
टिप्पणी : सारणी 1 की टिप्पणी देखें ।			
स्रोत : राज्य सरकार के बजट दस्तावेज।			

जाएगी जो पिछले वर्ष में दर्ज किए गए 23.3 प्रतिशत की वृद्धि के ऊपर होगी। 2007-08 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि को बजट में स्वयं कर राजस्व (49.1 प्रतिशत), केंद्रीय करों में हिस्सा (27.2 प्रतिशत), केंद्र से अनुदान (19.1 प्रतिशत) और राज्यों के स्वयं के गैर-राजस्व कर (4.7 प्रतिशत) से प्राप्त किया जाना दर्शाया गया है। 2007-08 में जीडीपी के अनुपात के रूप में राजस्व प्राप्तियां 0.2 प्रतिशत बिंदु से बढ़कर 13.1 प्रतिशत होना अनुमानित है जिसमें मुख्य रूप से उनके स्वयं के कर-राजस्व तथा केंद्र से प्राप्त डिवोल्यूशन और अंतरण का हिस्सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अनुमान है कि 2007-08 में जीडीपी के प्रतिशत के रूप में राज्यों का स्वयं का कर-राजस्व मामूली रूप से बढ़ेगा, जो 1990 के मध्य से चली आ रही वृद्धि की प्रवृत्ति को जारी रखता है। 2007-08 में वैट/बिक्री कर से प्राप्त राजस्व, जो राज्यों के स्वयं के कर-राजस्व का लगभग आधा हिस्सा होता है, के लिए बजट में 15.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्शायी गयी है जबकि परिसंपत्ति और पूंजी लेनदेनों पर करों में 18.3 प्रतिशत की वृद्धि होगी। दूसरी ओर राज्यों के गैर-कर-राजस्व के बारे में बजट अनुमान है कि वह 2007-08 के दौरान पिछले वर्ष के 16.1 प्रतिशत (विवरण 3) से घटकर 6.3 प्रतिशत होगा। राज्य सरकारों को केंद्र सरकार से प्राप्त होनेवाले सकल संसाधनों के डिवोल्यूशन और अंतरण (अर्थात् कर-राजस्व में हिस्सेदारी, अनुदान और ऋण तथा अग्रिम) के बारे में अनुमान है कि इसमें वर्ष 2007-08 के दौरान पिछले वर्ष में दर्ज 28.0 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में 17.3 प्रतिशत अर्थात् 2,68,422 करोड़ रुपए की वृद्धि होगी। जीडीपी के अनुपात के रूप में केंद्र से प्राप्त सकल डिवोल्यूशन और अंतरण पिछले वर्ष के 5.5 प्रतिशत से सुधरकर 2007-08 के दौरान 5.8 प्रतिशत

होने का अनुमान है। यहां यह उल्लेखनीय है कि केंद्र से प्राप्त सकल डिवोल्यूशन और अंतरण 2007-08 के दौरान राज्य सरकारों को सकल संवितरण राशि का 35.0 प्रतिशत वित्त उपलब्ध कराएगा जबकि पिछले वर्ष में यह 33.3 प्रतिशत था। टीएफसी की संस्तुतियों के अनुसरण में केंद्र से राज्यों की सरकारें हिस्सेदारीयोग्य केंद्रीय करों में बड़ा हिस्सा और बड़ा अनुदान प्राप्त कर रही हैं। साथ ही साथ राज्यों को प्राप्त केंद्रीय योजना ऋणों को चरणबद्ध रूप से समाप्त किया जा रहा है (विवरण 4 देखें)।

पिछले वर्ष के 22.6 प्रतिशत के राजस्व व्यय के मुकाबले 2007-08 में इसके कम होकर 10.8 प्रतिशत पर आ जाने से राजस्व लेखे में सुधार आया। 2007-08 के दौरान राजस्व व्यय में अनुमानित वृद्धि का प्रमुख कारण है गैर ब्याज राजस्व व्यय (87.9 प्रतिशत)। राजस्व व्यय के भीतर ही विकासात्मक व्यय (आर्थिक और सामाजिक सेवाएं) पिछले वर्ष की 26.0 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि प्राप्त करने के बाद घटकर 11.3 प्रतिशत रह जाएगा। गैर विकासात्मक व्यय भी प्रशासनिक सेवाओं, पेंशन और ब्याज भुगतानों पर व्यय में कमी के कारण घटकर 9.5 प्रतिशत (पिछले वर्ष के 17.6 प्रतिशत की तुलना में) होगा (विवरण 5 और 6)।

पूंजी प्राप्तियों में पिछले वर्ष के 12.9 प्रतिशत की कमी की तुलना में 2007-08 के दौरान 12.4 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है जो मुख्यतया बाजार उधारियों की बजट की गई राशि में तीव्र वृद्धि होने के कारण है। प्रसंगवश यह उल्लेख करना आवश्यक है कि राज्य सरकारों ने एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियों और ऋण और अग्रिमों की वसूली दोनों का ही बजट न्यून स्तरों पर क्रमशः 4.1 प्रतिशत

और 45.9 प्रतिशत किया है (विवरण 7)। दूसरी ओर 2007-08 के दौरान राज्य सरकारों के कुल पूंजी व्यय में पिछले वर्ष की 22.1 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में 13.9 प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान बजट में किया गया है। 2007-08 में पूंजी व्यय में वृद्धि का हिस्सा पूंजी संवितरण में वृद्धि का 66.3 प्रतिशत होगा जो मुख्यतया आर्थिक सेवाओं में विकासात्मक परिव्यय को दर्शाता है। जीडीपी के अनुपात रूप में पूंजी परिव्यय पिछले वर्ष के 2.5 प्रतिशत से बढ़कर 2.6 प्रतिशत होगा।

राज्य सरकारों द्वारा कुल व्यय (टीई) में सामाजिक क्षेत्र व्यय (एसएसई), जिसमें सामाजिक सेवाओं, ग्रामीण विकास और खाद्य गोदामों तथा भंडारागारों से संबंधित व्ययों को सम्मिलित किया गया है, जो दशक के प्रथम आधे भाग में कमी की प्रवृत्ति दिखा रहा था, में हाल ही के वर्षों में वृद्धि परिलक्षित हुई है। 2000-05 के दौरान एसएसई-टीई का अनुपात 32.5 प्रतिशत के औसत से बढ़कर 2005-06 में 33.7

प्रतिशत हुआ और 2006-07 (आरई) में और भी बढ़कर 35.5 प्रतिशत हो गया। 2007-08 के बजट में एसएसई-टीई का अनुपात 35.9 प्रतिशत अनुमानित है। 2007-08 में जीडीपी के अनुपात रूप में एसएसई 5.9 प्रतिशत पर बना रहेगा अर्थात् पिछले के स्तर पर रहेगा। कुल राजस्व व्यय में परिचालनों और रखरखाव व्यय का अनुपात सामान्यतया पिछले वर्षों की तुलना में क्रमशः कमी दर्शा रहा था। दूसरी ओर राजस्व व्यय में वेतन का हिस्सा 1990 के दशक के उत्तरार्ध की तुलना में अधिक था जो 2000-01 में 39.1 प्रतिशत के शीर्ष से घटकर 2006-07 (आरई) में 27.8 प्रतिशत हो गया था।

घाटे के प्रमुख सूचकों की प्रवृत्ति से ज्ञात होता है कि 1990 के उत्तरार्ध से क्रमिक रूप से दर्ज होते घाटे में हाल के वर्षों में महत्वपूर्ण रूप से सुधार परिलक्षित हुआ है (सारणी 4)(अनुबंध 1 भी देखें)। तथापि समेकित राजकोषीय स्थिति में दर्शनीय सुधार से विस्तृत उतार-चढ़ावों, जो सभी राज्यों में विद्यमान है, का पता

सारणी 4 : राज्य सरकार के प्रमुख घाटा संकेतकों की प्रवृत्तियां

(राशि करोड़ रुपए में)								
वर्ष	राजस्व घाटा		सकल राजकोषीय घाटा		प्राथमिक राजस्व शेष		प्राथमिक घाटा	
1	2		3		4		5	
1999-00	54,548	(2.8)	90,099	(4.6)	9,907	(0.5)	45,458	(2.3)
2000-01	55,316	(2.6)	87,923	(4.2)	4,331	(0.2)	36,937	(1.8)
2001-02	60,398	(2.6)	94,260	(4.1)	-1,198	(-0.1)	32,665	(1.4)
2002-03	57,179	(2.3)	99,726	(4.1)	-11,848	(-0.5)	30,699	(1.2)
2003-04 (पावर बॉन्ड को घटाकर)	63,407	(2.3)	120,631	(4.4)	-16,989	(-0.6)	40,235	(1.5)
2004-05	39,158	(1.3)	107,774	(3.4)	-47,263	(-1.5)	21,353	(0.7)
2005-06	7,013	(0.2)	90,084	(2.5)	-77,011	(-2.2)	6,060	(0.2)
2006-07 (संअ)	5,566	(0.1)	113,913	(2.8)	-90,139	(-2.2)	18,209	(0.4)
2007-08 (बअ)	-11,973	(-0.3)	108,323	(2.3)	-114,648	(-2.5)	5,648	(0.1)

संअ : संशोधित अनुमान ।

बअ : बजट अनुमान ।

(-) : चिह्न अधिशेष दर्शाता है ।

टिप्पणी : 1. कोष्ठकों के आंकड़े सघट का प्रतिशत दर्शाते हैं।

2. राज्य सरकार ने 2003-04 के दौरान एसईबी की देयताओं के लिए एकबारगी निपटान के अंतर्गत केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों को 28,984 करोड़ रुपए के पावर बॉन्ड जारी किए हैं।

3. जम्मू और कश्मीर के 1990-00 से 2005-06 तक के तथा झारखंड के 2001-02 से 2005-06 तक के आंकड़े संशोधित अनुमान के आंकड़े हैं ।

स्रोत : राज्य सरकार के बजट दस्तावेज ।

सारणी 5 : सकल राजकोषीय घाटे का वियोजन और वित्तपोषण स्वरूप - 2005-06 (लेखा) से 2006-07 (बअ)

(जीएफडी का प्रतिशत)			
मद	2005-06 (लेखा)	2006-07 (संअ)	2007-08 (बअ)
1	2	3	4
वियोजन (1+2+3-4)	100.0	100.0	100.0
1. राजस्व घाटा	7.8	4.9	-11.1
2. पूंजी परिव्यय	86.1	92.1	109.7
3. निवल ऋण	6.1	5.7	10.7
4. ऋणोत्तर पूंजीगत प्राप्ति	0.0	2.7	9.3
वित्तपोषण (1 से 11)			
1. बाजार उधार राशियाँ	17.0	16.8	24.3
2. केंद्र से ऋण	0.0	1.8	6.0
3. एनएसएसएफ लघुबचत को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियाँ	81.9	51.5	49.6
4. एलआइसी, नाबार्ड, एनसीडीसी, भा.स्टे. बैंक और अन्य बैंकों से लिए गए ऋण	4.5	5.6	6.8
5. लघुबचत भविष्य निधि इत्यादि	11.6	9.6	11.4
6. आरक्षित निधियाँ	5.8	4.2	3.9
7. जमाराशियाँ और अग्रिम	8.1	1.6	1.4
8. उच्च और विविध	8.8	0.0	-1.3
9. प्रेषण	0.1	0.3	0.0
10. अन्य	0.0	-2.8	-0.9
11. कुल अधिशेष (-) / घाटा (+)	-37.7	11.6	-1.1

बअ : बजट अनुमान ।

संअ : संशोधित अनुमान ।

एनएसएसएफ : राष्ट्रीय लघु बचत निधि ।

टिप्पणियाँ : 1. 1990-2000 से लेखांकन प्रक्रिया में परिवर्तन के कारण केंद्र से प्राप्त ऋणों में लघु बचत वसूलियों में राज्यों के हिस्से को छोड़ दिया गया है । इसे आंतरिक ऋण के तहत एनएसएसएफ को जारी प्रतिभूतियों में दर्शाया गया है । तदनुसार लघु बचत की राशियों को केंद्र के ऋणों की चुनौती के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है तथा अब इन्हें प्राप्ति और व्यय के सुसंगत लेखांकन के लिए आंतरिक ऋण के विमोचन में दर्शाया जा रहा है ।

2. 'अन्य' में क्षतिपूर्ति और अन्य बांड, अन्य संस्थाओं से प्राप्त ऋण, आकस्मिकता निधि के लिए विनियोजन, अंतर-राज्य निपटान और आकस्मिकता निधि सम्मिलित है ।

3. जम्मू और कश्मीर तथा झारखंड के आंकड़ों का संबंध संशोधित अनुमानों से है ।

स्रोत : राज्य सरकार के बजट दस्तावेज ।

नहीं चलता। 2007-08 के दौरान 20 राज्यों ने राजस्व अधिशेषवाला बजट प्रस्तुत किया है। तथापि 15 राज्यों ने पिछले वर्ष की तुलना में 2007-08 के बजट में उच्च जीएफडी का अनुमान किया है। केवल कुछ राज्य ही समग्र सुधार में प्रमुख हिस्सेदारी रखते हैं। राजकोषीय सुधार प्रक्रिया के राज्यवार विश्लेषण से पता चलता है कि 2007-08 के दौरान राजस्व लेखे में सुधारों का 85 प्रतिशत हिस्सा तथा जीएफडी में सुधार का 73 प्रतिशत हिस्सा विशेष श्रेणी के राज्यों में न आनेवाले राज्यों का होगा।

सभी राज्य सरकारों के समेकित जीएफडी, जो उनके (राज्यों) बजट कागजात पर आधारित है, के विसंयोजन से पता चलता है कि 2007-08 में पूंजी व्यय को राजस्व व्यय में अधिशेष की स्थिति रहने के कारण वित्त लाभ प्राप्त होगा जबकि पिछले वर्ष आरडी का हिस्सा जीएफडी में 4.9 प्रतिशत था। तदनुसार जीएफडी में पूंजी परिव्यय का हिस्सा वर्ष में 92.1 प्रतिशत से बढ़कर 109.7 प्रतिशत होगा। एनएसएसएफ को जारी प्रतिभूतियाँ जीएफडी को प्रमुख रूप से वित्त उपलब्ध कराती रहेंगी, यद्यपि इसकी हिस्सेदारी में कमी आएगी जो विशुद्ध वसूलियों में संभावित कमी के कारण होगी। यह कमी हाल ही में उस प्रवृत्ति और नीतिगत निर्णय के अनुरूप है, जिसके अनुसरण में एनएसएसएफ से उधार प्राप्त करने की राज्यों की न्यूनतम बाध्यताओं को निवल वसूलियों के 100 प्रतिशत से घटाकर 80 प्रतिशत किया गया है। तदनुसारेण बाजार उधारियाँ पिछले वर्ष के दौरान 16.8 प्रतिशत की तुलना में 2007-08 के दौरान जीएफडी के 24.3 प्रतिशत के उच्च हिस्से को वित्त उपलब्ध कराएंगी (सारणी 5)।

पिछले तीन वर्षों के लिए राज्य बजटों और यूनियन बजटों को आमने-सामने रखकर देखने से पता चलता है कि राज्यों ने आम तौर पर केंद्र से मिलने वाले सहायता-अनुदान का अधिक आकलन किया था जबकि इसके उलट राज्य के बजटों में केंद्रीय करों में हिस्सेदारी योग्य राशि को कम करके आंका गया था। जहां तक जीएफडी के वित्तीयन का प्रश्न है, 2007-08 में राज्य के बजटों में एनएसएसएफ से आप्रवाहों - जिसका आकलन राज्य के बजटों में आम तौर पर कम करके किया जाता है - का आकलन अधिक किया गया है। केंद्र से मिलने वाले ऋणों को आम तौर पर राज्य के बजटों में अधिक आंका गया है। राज्य बजट 2007-08 में केंद्र से प्राप्त हिस्सेदारी करनेयोग्य करों को 6,267 करोड़ रुपए कम आकलन करने और अनुदान का आकलन 17,737 करोड़ रुपए अधिक करने को ध्यान में रखते हुए राजस्व प्राप्तियों का स्तर राज्य सरकारों द्वारा किए गए बजट से भिन्न रहेगा। अतः आरडी और जीएफडी का स्तर राज्य सरकारों द्वारा किए गए बजट से कुछ न कुछ तो उच्च होगा ही। जीएफडी के वित्तीयन का जहां तक संबंध है, केंद्र से प्राप्त ऋण और अग्रिम तथा एनएसएसएफ को जारी प्रतिभूतियों के विरुद्ध ऋणों को 2007-08 के राज्य बजटों में क्रमशः 3,501 करोड़ रुपए और 6,689 करोड़ रुपए अधिक करके आंका गया। इसी प्रकार यूनियन बजट की तुलना में राज्य सरकारों के बजट शीर्षों में ऐसे अधिक/कम आकलन के कारण जीएफडी के वित्तीयन की प्रवृत्ति विकृत होती है।

बकाया देयताएं और बाजार उधारियां

राज्यों के भारी भरकम और बढ़ते जा रहे जीएफडी, विशेष रूप से 1990 के दशक के उत्तरार्ध के प्रारंभ से, ने राज्य सरकारों के बकाया ऋणों को

उत्तरोत्तर बढ़ाया ही है। केंद्र से प्राप्त ऋण, जो वर्षों से राज्य के ऋणों का सर्वाधिक बड़ा हिस्सा रहा है, अब कम होता दिखाई दे रहा है। दूसरी ओर 1990 के दशक की तुलना में बाजार उधारियों और एनएसएसएफ का हिस्सा बढ़ गया है। राज्य सरकारों की बकाया देयताएं मार्च 1991 के अंत में 1,28,155 करोड़ रुपए (अथवा जीडीपी का 22.5 प्रतिशत) होती थीं। ऋण-जीडीपी अनुपात, जो मार्च 1997 के अंत में 20.9 प्रतिशत के निम्न स्तर पर था, मार्च 2006 के अंत में तीव्र गति से बढ़कर 32.7 प्रतिशत हो गया और फिर मार्च 2007 के अंत में घटकर 30.8 प्रतिशत पर आ गया। राज्य सरकारों की बकाया देयताएं मार्च 2008 के अंत में 13,78,663 करोड़ रुपए बजट की गईं जिसमें ऋण-जीडीपी अनुपात 29.8 प्रतिशत पर रखा गया (विवरण 8 और अनुबंध 2)।

राज्य सरकारों की सकल बकाया देयताओं में बाजार उधारियों का हिस्सा क्रमशः मार्च 1991 के अंत के 12.2 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2000 के अंत में 14.8 प्रतिशत और फिर मार्च 2005 के अंत में 20.7 प्रतिशत हो गया। राज्य सरकारों के उच्च लागतवाले बाजार ऋण के हिस्से में गिरावट की प्रवृत्ति 2006-07 में जारी रही। मार्च 2007 के अंत में बकाया बाजार उधारियों, जो 10 प्रतिशत और अधिक की ब्याज दर पर थे, का हिस्सा मार्च 2006 के अंत में 32.2 प्रतिशत से लगभग 5 प्रतिशत बिंदु घटकर 27.5 प्रतिशत था। रिजर्व बैंक के अभिलेखों के अनुसार राज्य सरकारों को बाजार उधारियों के निवल आबंटन में लगातार वृद्धि हुई है। अतिरिक्त आबंटन, जिसमें 2006-07 तक कमी परिलक्षित हो रही थी, में 2007-08 के दौरान वृद्धि दर्ज हुई है। 2007-08 के दौरान राज्य सरकारों के लिए बाजार उधारी कार्यक्रम

के अंतर्गत निवल आबंटन 28,811 करोड़ रुपए रखा गया है जो पिछले वर्ष की तुलना में 67.1 प्रतिशत अधिक है। 11,555 करोड़ रुपए की चुकौतियों तथा 5,625 करोड़ रुपए के अतिरिक्त आबंटन को ध्यान में रखते हुए सकल आबंटन की राशि 45,990 करोड़ रुपए थी, जो पिछले वर्ष की तुलना में 72.9 प्रतिशत अधिक थी। 2007-08 के दौरान (30 नवंबर 2007 तक) राज्यों ने नीलामियों के द्वारा, जिसकी उच्चतम दर 8.00- 8.90 प्रतिशत के रेंज में थी, 30,875 करोड़ रुपए (अथवा सकल आबंटन का 67.2 प्रतिशत) की बाजार उधारियाँ प्राप्त कीं। बाजार उधारियों पर भारित औसत ब्याज दर, जो 1990 के मध्य से 2003-04 तक कम रही थी, केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों की

ही भांति 2007-08 के दौरान (30 नवंबर 2007 तक) मजबूत होकर 8.39 प्रतिशत हो गई जो ब्याज दरों में सामान्यतया बढ़ती रुख का परिचायक था। 2007-08 (30 नवंबर 2007 तक) की जहां तक बात है, 2006-07 की भांति ही बाजार उधारियों की संपूर्ण राशि बारास्ता नीलामी से उगाही गई थी जो राज्य सरकारों की इस मंशा का परिचायक थी कि वे अपनी सुधरी हुई वित्तीय स्थिति के आधार पर बाजार उधारियाँ प्राप्त करना चाहती थीं (सारणी 6)।

चलनिधि स्थिति और नकदी प्रबंधन

राज्यों को अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट दिए जाने के संबंध में बनी परामर्शदात्री समिति (अध्यक्ष:

सारणी 6 : राज्य सरकारों के बाजार उधार की राशियाँ						
(करोड़ रुपए)						
मद	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08*
1	2	3	4	5	6	7
1. निवल आबंटन	12,722	12,767	13,969	16,112	17,242	28,811
2. अतिरिक्त आबंटन	6,422	4,893	3,236	3,522	2,803	5,625
3. डीएसएस के अंतर्गत आबंटन	10,000	29,000	19,766	-	-	-
4. जोड़ (1+2+3)	29,144	46,660	36,971	19,634	20,046	34,436
5. चुकौतियाँ	1,789	4,145	5,123	6,274	6,551	11,555
6. सकल आबंटन (4+5)	30,933	50,805	42,094	25,908	26,597	45,990
7. डीएसएस के अंतर्गत जुटाई गई राशि	10,000	26,623	16,943	-	-	-
8. आरआइडीएफ ऋण को पूर्व प्रदत्त करने के लिए जुटाई गई राशि	-	-	1,386	-	-	-
9. कुल जुटाई गई राशि (i + ii)	30,853	50,521	39,101	21,729	20,825	30,875
(i) टैप निर्गम	27,880	47,626	38,216	11,186	-	-
(ii) नीलामियाँ	2,973	2,895	885	10,543	20,825	30,875
	(13)	(8)	(3)	(24)	(22)	(21)
10. निवल जुटाई गई राशि (9-5)	29,064	46,376	33,978	15,455	14,274	19,320
11. निवल जुटाई गई राशि (डीएसएस से इतर) (10-7)	19,064	19,753	17,035	15,455	14,274	19,320
12. निवल जुटाई गई राशि (200 डीएसएस और आरआइडीएफ से इतर (11-8)	19,064	19,753	15,649	15,455	14,274	19,320
ज्ञापन मर्दे						
(i) ब्याज / कट ऑफ आय का दायरा (%)	6.60-8.00	5.78-6.40	5.60-7.36	7.32-7.85	7.65-8.66	8.00-8.90
(ii) भारित औसत ब्याज दर (%)	7.49	6.13	6.45	7.63	8.10	8.39
(iii) औसत परिपक्वता (वर्षों में)	10.00	10.05	10.01	10.00	10.00	10.00
डीएसएस : ऋण अदला - बदली योजना । '-' : शून्य / लागू नहीं । * : 30 नवंबर 2007 तक जुटाई गई राशि ।						
टिप्पणीयाँ : (i) कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े उन राज्यों की संख्या दर्शाते हैं जिन्होंने नीलामी के लिए विकल्प दिया है ।						
(ii) भारित औसत ब्याज दर के अनुसार बाजार उधार के आंकड़े राज्य सरकार के बजट दस्तावेज में दर्शाए गए आंकड़ों से भिन्न हो सकते हैं ।						
स्रोत : रिज़र्व बैंक के रिकार्ड के अनुसार ।						

श्री एम.पी.बेजबरुआ) की संस्तुतियों के आधार पर 1 अप्रैल 2006 से राज्य सरकारों के लिए संशोधित डब्लूएमए योजना लागू की गई। तदनुसार वर्ष 2006-07 के लिए सकल सामान्य डब्लूएमए की सीमा 10.5 प्रतिशत से बढ़कर 9,875 करोड़ रुपए हो गई। वर्षांत में राज्यवार सामान्य डब्लूएमए की सीमा की पुनरीक्षा की गई। पुनरीक्षा से ज्ञात हुआ कि विद्यमान बाह्य सामान्य डब्लूएमए की सीमा अन्य बातों के साथ-साथ निम्नांकित कारणों से पर्याप्त थी : (i) 2006-07 के दौरान राज्यों ने डब्लूएमए का कम उपयोग किया; (ii) राज्य सरकारों को टीएफसी के द्वारा तय किए गए राजकोषीय परिवेश के अनुकूल स्वयं को ढाल लेना, जो संक्रमण स्थिति की समाप्ति का द्योतक है और (iii) 2007-08 के दौरान राज्य सरकारों की चलनिधि स्थिति उत्तम रहने की आशावादिता। अतः राज्यवार सामान्य डब्लूएमए की विद्यमान सीमा को ही 2007-08 के दौरान बरकरार रखने का निर्णय किया गया।

2006-07 के दौरान राज्यों के द्वारा सामान्य डब्लूएमए, विशेष डब्लूएमए और ओवरड्राफ्टों की सीमा का औसत उपयोग कम रहा। 2006-07 में डब्लूएमए उपयोग में लानेवाले राज्यों की संख्या में कमी आई (2005-06 में 12 राज्यों की तुलना में केवल 8 राज्य थे)। इसी प्रकार 2006-07 में ओवरड्राफ्ट उपयोग में लानेवाले राज्यों की संख्या में कमी आई (2005-06 में 8 राज्यों की तुलना में केवल 2 राज्य थे)। यह समग्र नकद-स्थिति में आए सुधार को परिलक्षित करता है जिसके चलते अधिकतर राज्य सरकारों के पास अधिशेष नकदी के स्तर में भारी वृद्धि हुई। 2007-08 (30 नवंबर 2007 तक) में राज्यों के द्वारा डब्लूएमए और ओवरड्राफ्ट के रूप में उपयोग की गई राशि (दैनिक बकाया का औसत) 904 करोड़ रुपए थी जो पिछले वर्ष की तदनुसारी अवधि के 246 करोड़ रुपए की तुलना में बहुत अधिक थी। 2007-08 (30 नवंबर 2007 तक) में सात राज्यों ने 1-

155 दिन की अवधि के लिए डब्लूएमए का उपयोग किया जबकि उनमें से तीन राज्यों ने 3 से 65 दिन की रेंज के लिए ओवरड्राफ्ट का उपयोग किया। अर्थोपाय अग्रिम के उच्च स्तरीय उपयोग से कुछ राज्यों की प्राप्तियों और व्ययों के बीच अस्थायी खाई का पता चलता है जो अधिकांश राज्य सरकारों के पास अधिशेष नकदी उच्च स्तर पर रहने के बावजूद है।

राज्य सरकारों के द्वारा चलनिधि और नकद प्रबंधन पर प्रभाव छोड़नेवाला एक मुद्दा है उनके पास धारित अधिशेष नकदी का। पिछले कुछ वर्षों के दौरान लघु बचत संग्रहों में आए उफान और राज्य सरकारों को इन निधियों का स्वयमेव सरणीकरण होने का तात्पर्य है राज्य सरकारों की उधारियां उनकी अपनी जीएफडी के वित्तीयन हेतु वांछित राशि की आवश्यकता से कहीं अधिक है। यह बात अधिकतर राज्य सरकारों के द्वारा 14 दिवसीय इंटरमीडिएट और नीलामी राजकोषीय बिलों में निवेश के रूप में रखी गई बृहद अधिशेष नकदी में झलकती है, जो समेकित स्तर पर 62,996 करोड़ रुपए है (23 नवंबर 2007 को)। राज्यों को इन निवेशों पर लाभार्जन की कम दर प्राप्त होती है जबकि इन संसाधनों को जुटाने के लिए उधारी की लागत अधिक होती है और परिणामस्वरूप राजस्व लेखे में इसका दुष्प्रभाव पड़ता है।

विशेष प्रसंग: राज्य सरकारों को राजकोषीय अंतरण

सरकार के संघीय ढांचे में राजकोष अंतरणों के द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका अदा की जाती है। ये अंतरण राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के बीच के असंतुलन की खाई को पाटते हैं जो सरकार के विभिन्न स्तरों को कार्यों और वित्तीय संसाधनों का संवितरण करने के कारण उपजती है। भारत में संघीय प्रणाली के तहत यद्यपि राज्य सरकारों के ऊपर आर्थिक और आधारभूत संरचना के प्रावधानों के संदर्भ में बहुत बड़ी जिम्मेदारी

होती है यहाँ तक कि उनके अपने संसाधन आवश्यकताओं को पूरा करने में इतनी बुरी तरह अपर्याप्त होते हैं कि उसकी भरपाई के लिए केंद्र से राज्यों को राजकोष का अंतरण करने की अनिवार्यता हो जाती है।

संघीय ढांचे में राजकोषीय अंतरण कर-डिवोल्यूशन और अनुदानों के माध्यम से किए जाते हैं जिन्हें केंद्र से राज्यों को ऋण देकर अनुपूरित किया जाता है। अन्य संघीय ढांचे वाले देशों में व्यवहार में लाई जा रही प्रथा को अपनाते हुए भारत में राजकोषीय अंतरणों की प्रेरणा 'समानता' के सिद्धांत से प्राप्त की गई है जो विभिन्न राज्यों में राजकोषीय क्षमता की कमियों को निष्प्रभावी तो करता है परंतु राजस्व प्रयासों को नहीं। चूंकि राज्यों का मूल्यांकन राजस्व के संदर्भ में किया जाता है जो उन्हें अपनी क्षमता के अनुसार पैदा करना है, राजकोषीय अंतरणों के प्रति सामान्य दृष्टिकोण प्रतिकूल प्रोत्साहनों को निष्प्रभावी करता है। ठीक इसी प्रकार व्यय का मूल्यांकन भूतकाल के व्ययों को ध्यान में न रखकर अपितु आवश्यकताओं के आधार पर, जो सेवा के औसत स्तर अथवा न्यूनतम स्वीकृत स्तर और संबंधित मूल्य मानदंडों के अनुरूप होता हो, किया जाता है। राजकोषीय अंतरणों का उद्देश्य होता है लंबवत और क्षैतिज असंतुलनों को दुरुस्त करना। लंबवत असंतुलन पैदा होते हैं क्योंकि अधिक से अधिक संसाधन केंद्र सरकार को दे दिए जाते हैं जबकि राज्य सरकारों को बृहत्तर जिम्मेदारियों का निर्वाह सौंपा जाता है। क्षैतिज असंतुलन राज्यों की विभिन्न राजकोषीय क्षमताओं और आवश्यकताओं के कारण तथा सेवा उपलब्ध कराने की लागत में अंतर के कारण भी पैदा होते हैं। केंद्र सरकार से राज्य सरकारों को किए जानेवाले जितने भी अंतरण हैं वे सभी लंबवत असंतुलनों को दुरुस्त करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए किए जाते हैं। राज्य सरकारों के बीच अंतरणों

का संवितरण क्षैतिज असंतुलनों को दुरुस्त करने के लक्ष्य को ध्यान में रखकर किया जाता है। अंतरणों की वर्तमान योजना में लंबवत और साथ ही क्षैतिज असंतुलनों को दुरुस्त करने में कर-डिवोल्यूशन दुहरी भूमिका का निर्वाह करता है जबकि सहायता अनुदान मुख्यतया एक हद तक समानता प्राप्त करने के लक्ष्य की प्राप्ति में भूमिका अदा करता है। वित्त आयोग (एफसी) की संस्तुतियों के अंतर्गत सांविधिक अनुदान के अलावा योजना अनुदान का भी प्रावधान है जो योजना आयोग (पीसी) द्वारा यथानिर्णीत राज्य योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता को कवर करती है और साथ ही केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा दिए गए योजना अनुदानों का भी प्रावधान है जो कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ है।

सकल डिवोल्यूशन और अंतरण (जीडीटी)-जिसमें केंद्रीय करों में हिस्सा (एससीटी), सहायता अनुदान (जीआइए) और केंद्र से प्राप्त ऋण (एलएफसी) का समावेश है - में कई वर्षों से वृद्धि होती आई है परंतु एकल वर्ष 1999-00 में इसमें गिरावट आई है (सारणी 7)। टीएफसी की संस्तुतियों के अनुसरण में राज्यों को दिए गए एलएफसी का चरणबद्ध रूप से सफाया होने के साथ ही घटकवार जीडीटी में एससीटी और जीआइए का हिस्सा हाल के वर्षों में बढ़ गया है। 2007-08 के दौरान बजट में जीडीटी को जीडीपी के 5.8 प्रतिशत पर रखा गया है। औसतन, बारहवें वित्त आयोग (2005-08) के प्रथम तीन वर्षों के दौरान जीडीपी के प्रति जीडीटी का अनुपात ग्यारहवें वित्त आयोग की अवधि (5.2 प्रतिशत) की तुलना में अधिक अर्थात् 5.5 प्रतिशत था। 2005-08 के दौरान राज्यों के सकल संवितरणों और सकल प्राप्तियों में जीडीपी का हिस्सा लगभग 33 प्रतिशत था। जीडीपी के अनुपात रूप में जीडीटी में 1990 के दशक और 2000 के दशक के प्रारंभ में गिरावट आई जोकि संयोगवश दसवें और ग्यारहवें

सारणी 7 : सकल न्यागमन और अंतरणों की संरचना								
वर्ष	केंद्रीय करो में हिस्सा	सहायता अनुदान	केंद्र से ऋण	जोड़	केंद्रीय करो में हिस्सा	सहायता अनुदान	केंद्र से ऋण	जोड़
	(करोड़ रुपए)				(कुल का प्रतिशत)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1986-87	8,384	6,985	7,703	23,072	36.3	30.3	33.4	100.0
1987-88	9,660	8,275	9,034	26,969	35.8	30.7	33.5	100.0
1988-89	10,736	9,660	9,937	30,333	35.4	31.8	32.8	100.0
1989-90	13,097	8,505	11,259	32,862	39.9	25.9	34.3	100.0
1990-91	14,242	12,643	13,974	40,859	34.9	30.9	34.2	100.0
1991-92	16,848	15,226	13,069	45,143	37.3	33.7	29.0	100.0
1992-93	20,580	17,759	13,100	51,439	40.0	34.5	25.5	100.0
1993-94	22,395	21,176	14,277	57,848	38.7	36.6	24.7	100.0
1994-95	24,885	19,911	18,742	63,538	39.2	31.3	29.5	100.0
1995-96	29,048	20,873	18,804	68,725	42.3	30.4	27.4	100.0
1996-97	35,038	22,949	22,931	80,918	43.3	28.4	28.3	100.0
1997-98	40,411	23,853	29,744	94,009	43.0	25.4	31.6	100.0
1998-99	39,421	23,480	39,367	102,268	38.5	23.0	38.5	100.0
1999-00	44,121	30,177	21,354	95,652	46.1	31.5	22.3	100.0
2000-01	50,734	37,289	18,707	106,730	47.5	34.9	17.5	100.0
2001-02	52,215	42,601	24,396	119,213	43.8	35.7	20.5	100.0
2002-03	56,655	45,170	26,831	128,657	44.0	35.1	20.9	100.0
2003-04	67,080	50,834	25,871	143,785	46.7	35.4	18.0	100.0
2004-05	78,550	56,322	25,878	160,750	48.9	35.0	16.1	100.0
2005-06	94,024	76,750	8,097	178,871	52.6	42.9	4.5	100.0
2006-07 (संअ)	115,737	102,955	10,197	228,889	50.6	45.0	4.5	100.0
2007-08 (बअ)	136,184	117,320	14,918	268,422	50.7	43.7	5.6	100.0

संअ. : संशोधित अनुमान

बअ : बजट अनुमान

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

वित्त आयोग की अवधि थी। बारहवें वित्त आयोग की अवधि के दौरान अब तक 22.5 प्रतिशत जीडीपी की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) पिछले तीन वित्त आयोगों की अवधि के दौरान रही दर की तुलना में महत्वपूर्ण रूप से अधिक थी (अनुबंध 3)।

वित्त आयोग (एफसी) अंतरण- जिसमें प्राकृतिक आपदाओं के लिए एससीटी और सांविधिक अनुदान सम्मिलित है- का हिस्सा, औसतन, राज्यों को किए गए कुल चालू अंतरणों का लगभग दो-तिहाई होता है। बारहवें एफसी की अवधि के दौरान जीडीपी के संदर्भ में एफसी अंतरण जीडीपी का लगभग 3.3 प्रतिशत था, जो नौवें एफसी के बाद सर्वोच्च एफसी अंतरण था। ऐसा इसलिए है क्योंकि एससीटी के साथ ही टीएफसी की संस्तुतियों के संदर्भ में अनुदान घटकों

में महत्वपूर्ण रूप से वृद्धि हुई है। यह स्मरणीय रहे कि बारहवें एफसी की संस्तुति है कि निम्नांकित आधार पर समग्र एफसी अंतरणों में अनुदानों की अधिक महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए: (क) अनुदानों का निर्धारण निरपेक्ष संदर्भ में किया जाता है और उसकी राशि ज्ञात होती है, (ख) अनुदानों का लक्ष्य भेदन भलीभांति किया जा सकता है और (ग) अनुदानों का निर्धारण करते समय लागत अक्षमताओं और पुनर्वितरण-योग्य प्रतिफलों, जो कर-डिवोल्यूशन फार्मूला में पर्याप्त रूप से पहचाने नहीं जा सके, को भलीभांति ध्यान में रखा जा सकता है। तदनुसार बारहवें एफसी में 2005-10 की पंचाट अवधि के दौरान कुल एफसी अंतरणों में अनुदानों का हिस्सा बढ़ाकर 18.87 कर दिया गया है जो दसवें एफसी अवधि के दौरान

सारणी 8 : वित्त आयोग न्यागमन तथा अन्य चालू अंतरण					
अवधि	(राशि करोड़ रुपए में)				
	केकहि	सांआ.	विआअं. (2+3)	अचाअं	जोड़ (4+5)
1	2	3	4	5	6
नौवां वि.आ. (1990-95)	19,790 (2.6)	2,382 (0.3)	22,172 (2.9)	14,961 (1.9)	37,133 (4.9)
दसवां वि.आ. (1995-00)	37,608 (2.4)	2,935 (0.2)	40,542 (2.6)	21,332 (1.4)	61,874 (4.0)
ग्यारहवां वि.आ. (2000-05)	61,047 (2.4)	9,792 (0.4)	70,839 (2.8)	36,651 (1.4)	107,490 (4.2)
बारहवां वि.आ. (2005-08)	115,315 (2.8)	20,620 (0.5)	135,935 (3.3)	78,389 (1.9)	214,323 (5.2)

केकहि : केन्द्रीय कर में हिस्सा
अचाअं : अन्य चालू अंतरण
टिप्पणी : (1) कोष्ठकों के आंकड़े सघट के प्रतिशत हैं।
(2) अन्य चालू अंतरण गैर सांविधिक अनुदानों के अनुरूप हैं।
स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

सांआ : सांविधिक अनुदान
विआअं : वित्त आयोग अंतरण

8.96 प्रतिशत तथा ग्यारहवें एफसी अवधि के दौरान 13.47 प्रतिशत था। 2005-06 से 2007-08 के लिए आंकड़े दर्शाते हैं कि एफसी अंतरणों में अनुदानों का हिस्सा 15.2 प्रतिशत था जबकि कर-डिवोल्यूशन का हिस्सा 84.8 प्रतिशत था। बारहवें एफसी के दौरान जीडीपी की तुलना में पीसी और वित्त मंत्रालय से अन्य चालू अंतरणों में महत्वपूर्ण वृद्धि दिखाई देती है (सारणी 8)।

नौवें से ग्यारहवें वित्त आयोगों की अवधि के दौरान राज्य सरकारों की राजस्व प्राप्तियों का औसत अंतरण से पूर्व जीडीपी का 7.0 प्रतिशत था जबकि अंतरण के बाद राजस्व प्राप्तियां जीडीपी के औसतन 11.3

प्रतिशत थीं। बारहवें एफसी के पहले तीन वर्षों में अंतरणों से पूर्व और बाद में राजस्व प्राप्तियां क्रमशः 7.5 प्रतिशत और 12.7 प्रतिशत औसतन रहीं। राज्य सरकारों को संसाधनों के उच्च डिवोल्यूशन और अंतरण से राजकोषीय वित्तीय सुधार और समेकन प्रक्रिया, विशेषतया राजस्व खाते में महत्वपूर्ण सुधार की प्राप्ति में, को सहायता मिली है (सारणी 9)।

पूँजीगत खाते में ऋणों के रूप में केंद्र से प्राप्त अंतरणों से राज्यों के जीएफडी के वित्तीयन में सुविधा होती है। ऐतिहासिक रूप से 1998-99 तक जीएफडी वित्तीयन के सर्वाधिक बड़े स्रोत के रूप में केंद्र से प्राप्त ऋण हुआ करते थे। जीएफडी वित्तीयन में निवल

सारणी 9 : न्यागमन और अंतरण के पूर्व और पश्चात राजस्व प्राप्तियां				
अवधि	आरआरबीटी	आरआरएटी	आरआरबीटी/जीडीपी	आरआरएटी/जीडीपी
	(करोड़ रुपए)		(प्रतिशत)	
1	2	3	4	5
नौवां वि.आ. (1990-95)	55,546	92,679	7.2	12.1
दसवां वि.आ. (1995-00)	103,542	165,416	6.7	10.7
ग्यारहवां वि.आ. (2000-05)	178,171	285,661	7.0	11.2
बारहवां वि.आ. (2005-08)	308,738	523,061	7.5	12.7

आरआरबीटी : न्यागमन और अंतरण के पूर्व राजस्व प्राप्तियां
जीडीपी : सकल घरेलू उत्पाद
स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

आरआरएटी : न्यागमन और अंतरण के बाद राजस्व प्राप्तियां

एलएफसी के महत्व में तीव्र गिरावट देखी गई है - 1990-95 के दौरान 48.7 प्रतिशत और 1995-00 के दौरान 39.7 के औसत प्रतिशत से घटकर यह 2000-05 में 4.6 प्रतिशत और 2005-08 के दौरान पुनः इससे भी नीचे 2.6 प्रतिशत पर थी। तथापि राज्य सरकारों को एलएफसी में कमी की भरपाई उच्च दर पर खुले बाजार उधारियों और परक्राम्य ऋणों के द्वारा की गई थी। राज्यों के जीएफडी वित्तीयन की प्रवृत्ति में बदलते परिवेश से यह भी ज्ञात होता है कि एनएसएसएफ की स्थापना के कारण लघु बचतों के संबंध में लेखांकन मानदंडों, 1 अप्रैल 1999 से प्रभावी, में भी परिवर्तन हुए हैं। एनएसएसएफ के अंतर्गत संग्रह राशि, जो विशेष राज्य सरकार प्रतिभूतियों के निर्गम के विरुद्ध राज्य सरकारों को दी जाती है, का उपयोग पिछले कुछ वर्षों के दौरान निधियों के सर्वाधिक उपयोगी स्रोत के रूप में किया जा रहा है। एनएसएसएफ की स्थापना से पहले लघु बचतों को केंद्र से राज्य सरकारों को दिए गए ऋण के रूप में माना जाता था। 2002-03 से 2004-05 की अवधि के लिए डीएसएस के प्रचालन ने भी जीएफडी के वित्तीयन मद के रूप में एलएफसी के महत्व को काफी कम कर दिया।

निष्कर्ष के तौर पर लघु बचतों के फ्रेमवर्क में परिवर्तन और 1 अप्रैल 1999 से एनएसएसएफ के गठन तथा बारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसरण में 2005-06 से केंद्र से राज्यों को दिए जानेवाले योजना ऋणों के उन्मूलन के बाद से केंद्रीय करों में हिस्सेदारी और सहायता-अनुदान ही ऐसे दो प्रमुख घटक बचते हैं जो सकल डिवोल्यूशन और अंतरण के रूप में राज्यों को केंद्र से प्राप्त होते हैं। राज्य सरकारों को केंद्र से सकल डिवोल्यूशन और अंतरण-जिसमें केंद्रीय करों में हिस्सेदारी, सहायता - अनुदान और केंद्र से ऋण सम्मिलित हैं - ग्यारहवें वित्त आयोग की अवधि के दौरान रहे 5.2 प्रतिशत के औसत स्तर की तुलना में बारहवें वित्त आयोग

(2005-08)की अवधि के प्रथम तीन वर्षों के दौरान बढ़कर 5.5 प्रतिशत के औसत स्तर पर पहुँच चुका था। बारहवें वित्त आयोग की पंचाट अवधि के प्रथम तीन वर्षों के दौरान केंद्रीय करों के उच्च डिवोल्यूशन और अनुदानों के अंतरण के साथ ही साथ राज्यों के स्वयं के कर राजस्व में आए उफान ने राज्य सरकारों की राजकोषीय स्थिति सुधारने में सहायता की।

निष्कर्षात्मक टिप्पणियाँ

राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति के मूल्यांकन से हाल के वर्षों में घाटे के प्रमुख सूचकों में दर्शनीय सुधार का पता चलता है। 2006-07 के संशोधित आकलन में इसे परिलक्षित करते हुए जीडीपी के प्रति राज्यों का समेकित आरडी और जीएफडी अनुपात क्रमशः 0.1 प्रतिशत और 2.8 प्रतिशत रखा गया है। त्रुटि सुधार प्रक्रिया को जारी रखते हुए राज्य सरकारों ने 2007-08 के दौरान जीडीपी के अनुपात रूप में जीएफडी को बजट में और भी कम करके 2.3 प्रतिशत रखा है। जीएफडी में कमी राजस्व खाते में हुई कायापलट पर आधारित है, और जीडीपी का 0.3 प्रतिशत अधिशेष राजस्व खाता देगा, ऐसा अनुमान बजट में किया गया है। यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि राज्य सरकारों ने दो दशकों के बाद अपने राजस्व खाते में समेकित अधिशेष का बजट किया है। इस संदर्भ में यह भी उल्लेख किया जाना है कि कई राज्य सरकारों ने टीएफसी और स्वयं के एफआरएल द्वारा पुनर्संरचना का मार्ग अपनाने के लिए की गई संस्तुतियों से पूर्व ही आरडी और जीएफडी में कमी करने के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है।

राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति को सुधारने में भूमिका का निर्वाह करने वाले प्रमुख घटक हैं : (i) अधिकतर राज्य सरकारों के द्वारा एफआरएल के अंतर्गत अपनायी गई राजकोषीय त्रुटि सुधार और समेकन की नियम आधारित प्रक्रिया ; (ii) राज्यों के स्वयं का कर राजस्व उफान पर रहना; (iii) राज्य

सरकारों द्वारा किया गया व्यय प्रबंधन, और (iv) केंद्र सरकार से उच्च चालू अंतरण। राज्य सरकारों को उच्च डिवोल्यूशन और संसाधनों के अंतरण ने राजकोषीय त्रुटि सुधार और समेकन प्रक्रिया, विशेष रूप से राजस्व खाते में महत्वपूर्ण वृद्धि की प्राप्ति में सहायता उपलब्ध करायी है। अत्यधिक गरीब राज्यों को उनके जीएसडीपी के अनुपात रूप में उच्च डिवोल्यूशन और चालू अंतरण भी समानता के सिद्धांतों को दर्शाते हैं।

राजकोषीय त्रुटि सुधार को जारी रखने में राजस्व वृद्धि के महत्व को देखते हुए राज्य सरकारों ने कर संरचना के सरलीकरण/सुसंगतीकरण, बेहतर प्रवर्तन और कर अनुपालन के माध्यम से अतिरिक्त संसाधन जुटाने हेतु उपायों की घोषणा की है। राज्यों ने गैर योजना राजस्व व्यय को नियंत्रित रखने और भविष्य में पेंशन देयताओं को चुकाने में समर्थ रहने के लिए नई पेंशन योजनाएं लागू करने के प्रति वचनबद्धता प्रकट की है। राज्य सरकारों ने 2007-08 के लिए राज्य के बजटों में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) की विनिर्दिष्ट प्राथमिकताओं को भी ध्यान में रखा है। तदनुसार सामाजिक क्षेत्र और ग्रामीण आधारभूत संरचना के लिए दी जानेवाली राशि में वृद्धि किए जाने का प्रस्ताव राज्यों के द्वारा किया गया है।

राज्य सरकारों की समेकित राजकोषीय स्थिति में समग्र सुधार से विभिन्न राज्यों के राजकोषीय निष्पादन में रही विस्तृत असमानता का पता नहीं चलता। राज्यवार विश्लेषणों से ज्ञात हुआ है कि राजकोषीय त्रुटि सुधार और समेकन की प्रक्रिया को आगे ले जाने के लिए लगभग सभी राज्य सरकारों द्वारा दिए गए वचन के होते हुए भी विभिन्न राज्यों में राजकोषीय त्रुटि सुधार एकसमान नहीं था। केवल कुछ ही राज्य ऐसे थे जो समग्र त्रुटि सुधार में प्रमुख भागीदारी कर रहे थे। राजकोषीय प्रक्रिया के राज्यवार विश्लेषण से

पता चलता है कि अविशिष्ट श्रेणी के राज्यों का राजस्व खाते में त्रुटि सुधार का हिस्सा 85 प्रतिशत और जीएसडीपी में त्रुटि सुधार का उनका हिस्सा 73 प्रतिशत था। टीएफसी के द्वारा की गई संस्तुति, कि 2009-10 के अंत तक सभी राज्यों द्वारा एकसमान लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में राजकोषीय पुनर्संरचना का मार्ग अपनाया जाए, के साथ ही वित्तीय रूप से दुर्बल राज्यों को चाहिए कि वे समय सीमा के भीतर वित्तीय रूप से सुदृढ़ राज्यों की बराबरी में उनके साथ-साथ अग्रसर होने के लिए उपाय करें।

यद्यपि हाल के वर्षों में राज्य सरकारों ने अपनी वित्तीय स्थिति में दर्शनीय सुधार किया है, उन्हें राजकोषीय समेकन को सुदृढ़ करने के लिए प्रयास करने होंगे जिसके लिए उन्हें बजट में राजस्व आप्रवाहों को दृढ़ करना होगा और साथ ही साथ विकासात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए व्ययों को कम करना होगा। समग्र मैक्रो-इकॉनॉमिक परिस्थितियों में आप्रवाहों के परिणामस्वरूप राज्यों के स्वयं की राजस्व प्राप्तियों और राजकोषीय क्षमता में वृद्धि हुई है। राजस्व जुटाने में आए उफान को उत्पादक व्यय और निवेश के लिए सरणीकृत करना भी आवश्यक है। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि प्रथम त्रुटि सुधार की प्रक्रिया पूंजीगत व्यय और सामाजिक क्षेत्रों पर किए जानेवाले व्यय पर विपरीत प्रभाव नहीं डालती।

बीते समय में राज्य सरकारों के घाटे का स्तर उच्च रहने के परिणामस्वरूप राज्य सरकारों के ऋणों में संचयन का स्तर उच्च रहा। कई राज्यों के मामले में उनके ऋण-जीएसडीपी अनुपात का वर्तमान स्तर खतरनाक रूप से उच्च रहा। इसके अलावा राज्य सरकारों के द्वारा ऋण देयताओं की सर्विस कर पाने में उनकी क्षमता को लेकर भी चिंताएं हैं। टीएफसी ने जोर देकर कहा है कि प्रत्येक राज्य के लिए ऋण सीमाएं निर्धारित करने की आवश्यकता है और ये सीमाएं

निर्धारित करते समय राज्यों के द्वारा समस्त स्रोतों से प्राप्त ऋणों को ध्यान में रखना चाहिए जिसमें लघु बचत और राज्यों के लोक लेखा और रिजर्व निधि भी सम्मिलित हैं। निश्चित वृद्धि दर और ब्याज दर पर जीएसडीपी के प्रति स्थिर ऋण अनुपात के संदर्भ में ऋण धारणीयता सुनिश्चित करने में प्राथमिक शेष की स्थिति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। राजकोषीय मानदंडों की संख्या बढ़ाए जाने के बावजूद कई राज्यों के प्राथमिक शेष, और परिणामतः समेकित स्तर पर, घाटे में ही रहते आए हैं। तथापि हाल के वर्षों में उच्च आर्थिक वृद्धि और अनुकूल ब्याज दर के परिवेश के कारण राज्यों का ऋण-जीडीपी अनुपात बढ़ने से रुका हुआ है। यह उल्लेखनीय है कि राज्य सरकारों ने वर्ष 2009-10 के लिए टीएफसी के 15 प्रतिशत के लक्ष्य के मुकाबले 2007-08 में राजस्व प्राप्तियों के प्रति ब्याज भुगतान का अनुपात बजट में 16.9 प्रतिशत रखा है। राज्य सरकारें अपने ऋणों को धारणीय स्तर पर नियंत्रित रखने के लिए राजकोषीय पुनर्संरचना के द्वारा प्रयास करें।

कार्यक्रमों की बेहतर निगरानी और उनका मूल्यांकन करने की दृष्टि से राज्य सरकारें अपनी मूल्यांकन क्षमता, जिसमें परिणाम पर अधिक ध्यान देना है, को मजबूत करने पर विचार करें। वे एक ऐसी प्रणाली का विकास करें जो व्यय की कुशलता और प्रभावोत्पादकता बढ़ाने में जिम्मेदार हो और इसका हल ढूंढती हो।

राजकोषीय पारदर्शिता को महत्वपूर्ण रूप से मिल रही स्वीकृति को देखते हुए राज्य सरकारों के लिए पारदर्शिता में वृद्धि करने की आवश्यकता है जिसके लिए बकाया और आकस्मिक देयताओं, सब्सिडी इत्यादि जैसी मदों के संबंध में बजटों में पर्याप्त ब्यौरे उपलब्ध किए जाएं। इसके अतिरिक्त राजकोषीय आंकड़ों का जनता में प्रचार-प्रसार करने की बारंबारता का अंतराल कम करने, तिमाही आधार पर करने, पर

विचार किया जाए। बजट अनुमानों और लेखा के आंकड़ों के बीच बृहद अंतर पाए जाने, विशेषतया हाल के वर्षों में राज्यों के राजस्व लेखे में, को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण बजट अनुमान प्रक्रिया और उसकी विधि को उन्नत करना अधिक उपयोगी होगा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और पेंशन की जांच के लिए अक्टूबर 2006 में छोटे वेतन आयोग के गठन के मद्देनजर यह नोट किया जाना चाहिए कि राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों की वेतन संरचना में सुधार के लिए कमोबेश केंद्रीय वेतन आयोग पंचाट का अनुसरण किया है। कई राज्य सरकारों ने स्वयं के वेतन आयोगों का गठन किया। कई राज्यों के द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के परिणामस्वरूप 1990 के उत्तरार्ध में उनके वित्त में क्षरण हुआ। अतः राज्यों के लिए आवश्यक है कि वे वेतन स्तरों के निर्धारण से संबंधित अपना निर्णय कर्मचारियों की संख्या, आबादी के आकार और उत्पादक रोजगार के लिए वांछित अनुपूरक व्ययों को ध्यान में रखकर करें।

बतौर निष्कर्ष राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति में सुधार उनके कर राजस्व में आए उफान और केंद्र से प्राप्त उच्च चालू अंतरणों का परिणाम है। तथापि राज्य सरकारों को राजस्व के करेतर स्रोतों से जुटाये जानेवाले संसाधनों में वृद्धि के लिए युक्ति विकसित करनी होगी। व्यय प्रबंधन के संबंध में राज्य सरकारें सर्विस डिलिवरी तंत्र की प्रभावोत्पादकता में सुधार लाने पर जोर दें। राज्यों को ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में यथाविनिर्दिष्ट प्राथमिकताओं के अनुरूप विकास की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधनों का सरणीकरण करना सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास करने होंगे और साथ ही गैर विकासात्मक व्यय के स्तरों को कम करना होगा।

विवरण 1 : राज्य सरकार के प्रमुख घाटा संकेतक

(राशि करोड़ रुपए)

वर्ष	सकल राजकोषीय घाटा	राजस्व घाटा	परंपरागत घाटा	प्राथमिक घाटा	राज्यों को निवल भारिबैंक ऋण
1	2	3	4	5	6
1990-91	18,787 (3.3)	5,309 (0.9)	-72 (0.0)	10,132 (1.8)	420 (0.1)
1991-92	18,900 (2.9)	5,651 (0.9)	156 (0.0)	7,956 (1.2)	-340 (-0.1)
1992-93	20,891 (2.8)	5,114 (0.7)	-1,829 (-0.2)	7,681 (1.0)	176 (0.0)
1993-94	20,364 (2.4)	3,872 (0.5)	363 (0.0)	4,564 (0.5)	591 (0.1)
1994-95	27,308 (2.7)	6,706 (0.7)	-4,346 (-0.4)	7,895 (0.8)	48 (0.0)
1995-96	30,870 (2.6)	8,620 (0.7)	-2,680 (-0.2)	9,031 (0.8)	16 (0.0)
1996-97	36,561 (2.7)	16,878 (1.2)	7,202 (0.5)	11,175 (0.8)	898 (0.1)
1997-98	43,474 (2.9)	17,492 (1.1)	-1,803 (-0.1)	13,675 (0.9)	1,543 (0.1)
1998-99	73,295 (4.2)	44,462 (2.6)	3,268 (0.2)	37,854 (2.2)	5,579 (0.3)
1999-00	90,099 (4.6)	54,548 (2.8)	3,125 (0.2)	45,458 (2.3)	1,312 (0.1)
2000-01	87,923 (4.2)	55,316 (2.6)	-2,379 (-0.1)	36,937 (1.8)	-1,092 (-0.1)
2001-02	94,260 (4.1)	60,398 (2.6)	3,545 (0.2)	32,665 (1.4)	3,451 (0.2)
2002-03	99,726 (4.1)	57,179 (2.3)	-4,291 (-0.2)	30,699 (1.2)	-3,100 (-0.1)
2003-04	1,20,631 (4.4)	63,407 (2.3)	-526 (0.0)	40,235 (1.5)	293 (0.0)
2004-05	1,07,774 (3.4)	39,158 (1.3)	-10,232 (-0.3)	21,353 (0.7)	-2,705 (-0.1)
2005-06	90,084 (2.5)	7,013 (0.2)	-33,947 (-1.0)	6,060 (0.2)	2,425 (0.1)
2006-07 (ब.अ.)	106,753 (2.6)	8,348 (0.2)	-5,773 (-0.1)	9,458 (0.2)	-
2006-07 (सं.अ.)	113,913 (2.8)	5,566 (0.1)	13,210 (0.3)	18,209 (0.4)	-2,733 (-0.1)
2007-08 (ब.अ.)	108,323 (2.3)	-11,973 (-0.3)	-1,225 (-0.0)	5,648 (0.1)	-

सं.अ. : संशोधित अनुमान

ब.अ. : बजट अनुमान

'-' : उपलब्ध नहीं।

टिप्पणी

- (-) घाटा संकेतक के लिए अधिशेष दर्शाता है।
- परंपरागत घाटा कुल संवितरण और कुल प्राप्तियों के बीच अंतर दर्शाता है। कुल प्राप्तियों में (i) राजस्व प्राप्तियां (ii) अर्थोपाय अग्रिम तथा भारिबैंक से ओवरड्राफ्ट को छोड़कर पूंजीगत प्राप्तियां तथा (iii) लोक लेखा के अंतर्गत नकदी शेष निवेश लेखा से आहरण एवं भारिबैंक में जमा राशियों को छोड़कर निवल प्राप्तियां शामिल हैं। कुल संवितरण में (i) राजस्व व्यय और (ii) अर्थोपाय अग्रिम तथा भारिबैंक से ओवरड्राफ्ट की चुकौती को छोड़कर भारिबैंक में जमा राशियों का पूंजीगत संवितरण शामिल है।
- राजस्व घाटे से तात्पर्य है : राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के बीच का अंतर।
- सकल राजकोषीय घाटे से तात्पर्य है : ऋण चुकौती तथा ऋण वसूली को छोड़कर कुल संवितरण और राजस्व प्राप्तियों तथा ऋणोत्तर पूंजी प्राप्तियों के बीच का अंतर।
- प्राथमिक घाटे से तात्पर्य है : ब्याज भुगतान के बाद सकल राजकोषीय घाटा।
- कोष्ठकों के आंकड़े सकल राजकोषीय घाटा संबंधी प्रतिशत हैं।
- जम्मू और काश्मीर के 1990-91 से 2005-06 तक के और झारखंड के 2001-02 से 2005-06 तक के आंकड़े संशोधित अनुमानों से संबंधित हैं।
- राज्य सरकारों को निवल रिजर्व बैंक ऋण रिजर्व बैंक द्वारा उन्हे दिये गये ऋणों और अग्रिमों, रिजर्व बैंक के पास उनकी वृद्धिशील जमा राशियों को छोड़कर, में घटबढ़ दर्शाता है।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज और भारतीय रिजर्व बैंक अभिलेख।

विवरण 2 : समेकित बजट स्थिति एक नजर में

(करोड़ रुपए)

मद	2005-06 (लेखा)	2006-07 (बजट अनुमान)	2006-07 (संशोधित अनुमान)	2007-08 (बजट अनुमान)	घट-बढ़						
					स्तंभ 2 की तुलना में स्तंभ 4		स्तंभ 3 की तुलना में स्तंभ 4		स्तंभ 4 की तुलना में स्तंभ 5		
					राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I. राजस्व खाता											
क. प्राप्तियां	4,31,021	5,08,775	5,31,429	6,06,733	1,00,408	23.3	22,654	4.5	75,304	14.2	
ख. व्यय	4,38,034	5,17,123	5,36,995	5,94,760	98,961	22.6	19,872	3.8	57,765	10.8	
ग. अधिशेष (+)/घाटा(-) (Iक-Iख)	-7,013	-8,348	-5,566	11,973							
II. पूंजी खाता*											
क. प्राप्तियां	1,64,607	1,51,782	1,43,307	1,61,112	-21,300	-12.9	-8,475	-5.6	17,805	12.4	
ख. संवितरण	123,648	1,37,661	1,50,951	1,71,859	27,304	22.1	13,290	9.7	20,908	13.9	
ग. अधिशेष(+)/घाटा(-) (IIक-IIख)	40,960	14,120	-7,645	-10,748							
III. कुल प्राप्तियाँ	5,95,628	6,60,557	6,74,736	7,67,845	79,107	13.3	14,179	2.1	93,109	13.8	
IV. कुल संवितरण	5,61,682	6,54,784	6,87,946	7,66,620	1,26,264	22.5	33,162	5.1	78,674	11.4	
V. समग्र अधिशेष (+)/ घाटा(-) (III-IV)	33,947	5,773	-13,210	1,225							
VI. समग्र अधिशेष(+)/ घाटा(-) का वित्तपोषण [V=VI(क+ख+ग)]											
क. नकदी शेष (निवल) में वृद्धि(+)/कमी(-) (निवल)	-1,827	4,560	-9,469	3,311							
ख. नकदी शेष निवेश खाते में वृद्धि (+) / से आहरण (-) (निवल)	34,761	1,263	-3,672	-2,016							
ग. भारि. बैंक से प्राप्त अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट की चुकौती (+)/वृद्धि (-) (निवल)	1,013	-50	-70	-70							

* : i) भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम और ii) नकदी शेष निवेश खाते से प्रतिभूतियों की खरीद / बिक्री तथा (iii) रिजर्व बैंक के पास रखी जमाराशि को छोड़कर।

पूंजीगत प्राप्तियों में निवल आधार पर सार्वजनिक लेखा शामिल है जबकि पूंजी व्यय में सार्वजनिक लेखा शामिल नहीं है।

टिप्पणी : जम्मू और कश्मीर, झारखंड के वर्ष 2004-05 (लेखा) के आंकड़े संशोधित अनुमानों से संबंधित हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

विवरण 3 : राजस्व प्राप्तियां										
(करोड़ रुपये)										
मद	2005-06 लेखा	2006-07 (बजट अनुमान)	2006-07 (संशोधित अनुमान)	2007-08 (बजट अनुमान)	घट-बढ़					
					स्तंभ 2 की तुलना में स्तंभ 4		स्तंभ 3 की तुलना में स्तंभ 4		स्तंभ 4 की तुलना में स्तंभ 5	
1	2	3	4	5	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
कुल राजस्व (I+II)	4,31,021	5,08,775	5,31,429	6,06,733	1,00,408	23.3	11,282	2.2	75,304	14.2
I. कर-राजस्व (क+ख)	3,06,332	3,57,499	3,72,817	4,30,222	66,485	21.7	6,194	1.7	57,405	15.4
क. राज्यों के करों से राजस्व (i से iii)	2,12,307	2,48,080	2,57,080	2,94,038	44,773	21.1	-123	-	36,958	14.4
i) आय पर कर (क+ख)	2,563	2,721	2,864	3,028	301	11.7	143	5.3	164	5.7
(क) कृषिगत आयकर	17	22	21	26	5	29.0	-1	-3.0	5	23.1
(ख) पेशा, व्यापार, व्यवसाय और रोजगार कर	2,547	2,699	2,843	3,002	296	11.6	144	5.3	159	5.6
ii) संपत्ति और पूंजीगत लेनदेन पर कर (क से ग)	27,667	30,779	34,080	40,310	6,413	23.2	2,401	7.6	6,230	18.3
(क) मुद्रांक और पंजीयन शुल्क	24,868	27,344	30,903	36,862	6,036	24.3	2,659	9.4	5,958	19.3
(ख) भू-राजस्व	2,716	3,332	3,070	3,287	353	13.0	-263	-7.9	217	7.1
(ग) शहरी अचल संपत्ति कर	83	102	107	162	24	28.6	5	4.6	55	51.4
iii) पण्य और सेवाओं पर कर (क से ज)	1,82,077	2,14,578	2,20,136	2,50,700	38,059	20.9	-2,667	-1.2	30,564	13.9
(क) बिक्री-कर *	1,28,769	1,54,342	1,58,113	1,82,973	29,343	22.8	-2,819	-1.8	24,860	15.7
(ख) राज्य उत्पाद शुल्क	25,036	28,558	29,409	31,578	4,374	17.5	-124	-0.4	2,169	7.4
(ग) वाहन-कर	11,964	13,232	13,572	15,222	1,608	13.4	-50	-0.4	1,650	12.2
(घ) यात्री और मालों पर कर	6,450	7,463	7,746	8,509	1,297	20.1	266	3.6	763	9.9
(च) बिजली प्रशुल्क	7,718	8,226	8,559	9,052	842	10.9	333	4.1	493	5.8
(ड) मनोरंजन कर	649	855	767	851	119	18.3	-132	-14.6	83	10.9
(ज) अन्य कर और शुल्क	1,492	1,901	1,970	2,515	478	32.0	-142	-6.7	545	27.7
ख. केंद्रीय कर में अंश	94,024	1,09,420	1,15,737	1,36,184	21,712	23.1	6,317	5.8	20,447	17.7
II. करेतर-राजस्व (ग + घ)	1,24,690	1,51,276	1,58,612	1,76,511	33,922	27.2	5,087	3.3	17,899	11.3
ग. केंद्र से प्राप्त अनुदान	76,750	99,290	1,02,955	1,17,320	26,205	34.1	2,767	2.8	14,366	14.0
घ. राज्यों के अपने करेतर राजस्व (क से च)	47,939	51,986	55,657	59,191	7,718	16.1	2,320	4.4	3,534	6.3
(क) ब्याज प्राप्तियां	9,380	8,502	9,302	11,008	-78	-0.8	-422	-4.3	1,706	18.3
(ख) लाभांश और लाभ	578	303	320	335	-258	-44.7	13	4.3	15	4.6
(ग) सामान्य सेवाएं	11,784	15,108	16,972	14,285	5,189	44.0	1,815	12.0	-2,688	-15.8
जिसमें से :										
राज्य लॉटरी	7,124	10,741	8,670	8,207	1,546	21.7	-2,071	-19.3	-463	-5.3
(घ) समाज सेवा	4,549	3,286	4,539	4,474	-9	-0.2	1,225	37.0	-65	-1.4
(ड) आर्थिक सेवा	21,649	24,781	24,522	29,090	2,873	13.3	-307	-1.2	4,568	18.6
(च) राजकोषीय सेवा	1	6	2	-	1	170.4	-4	-65.6	-2	-95.4

* : सामान्य बिक्री कर, केंद्रीय बिक्री कर, मोटर स्पिरिट पर बिक्री कर और गन्ने की खरीद पर कर आदि शामिल।

'-' : नगण्य/शून्य

टिप्पणी : जम्मू और कश्मीर, झारखंड के वर्ष 2004-05 (लेखा) के आंकड़े संशोधित अनुमान से संबंधित हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

विवरण 4 : केंद्र से संसाधनों का न्यागमन और अंतरण

(करोड़ रुपए)

मद	2005-06 लेखा	2006-07 (बजट अनुमान)	2006-07 (संशोधित अनुमान)	2007-08 (बजट अनुमान)	घट-बढ़					
					स्तंभ 2 की तुलना में स्तंभ 4		स्तंभ 3 की तुलना में स्तंभ 4		स्तंभ 4 की तुलना में स्तंभ 5	
					राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. केंद्रीय करों में राज्यों का अंश	94,024	1,09,420	1,15,737	1,36,184	21,712	23.1	6,317	5.8	20,447	17.7
II. केंद्र से अनुदान (1 से 5)	76,750	99,290	1,02,955	1,17,320	26,205	34.1	3,664	3.7	14,366	14.0
1. राज्य आयोजना योजनाएं	28,748	42,299	41,079	52,499	12,332	42.9	-1,220	-2.9	11,420	27.8
2. केंद्रीय आयोजना योजनाएं	2,216	5,678	5,049	5,551	2,833	127.8	-629	-11.1	502	9.9
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं	13,314	18,189	19,914	24,655	6,599	49.6	1,725	9.5	4,741	23.8
4. एनईसी/विशेष आयोजना योजनाएं	339	735	825	736	486	143.5	91	12.3	-90	-10.9
5. योजनेतर अनुदान (क से ग)	32,133	32,390	36,087	33,880	3,954	12.3	3,697	11.4	-2,207	-6.1
क) सांविधिक अनुदान	18,049	19,637	17,113	17,067	-936	-5.2	-2,524	-12.9	-45	-0.3
ख) प्राकृतिक आपदाओं के लिए अनुदान	3,272	2,532	3,636	2,722	365	11.1	1,104	43.6	-914	-25.1
ग) योजनेतर गैर-सांविधिक अनुदान	10,812	10,221	15,338	14,091	4,526	41.9	5,117	50.1	-1,247	-8.1
III. केंद्र से सकल ऋण (i+ii)	8,097	13,525	10,197	14,918	2,101	25.9	-3,328	-24.6	4,721	46.3
i) योजना ऋण	8,062	13,040	9,768	14,503	1,705	21.2	-3,273	-25.1	4,735	48.5
ii) योजनेतर ऋण*	34	485	430	415	395	1,150	-55	-11.4	-14	-3.3
IV. सकल अंतरण (I+II+III)	1,78,871	2,22,235	2,28,889	2,68,422	50,017	28.0	6,653	3.0	39,534	17.3
V. ऋणों की चुकौती और ब्याज भुगतान (क+ख)	21,290	23,104	21,370	21,348	80	0.4	-1,734	-7.5	-22	-0.1
क) केंद्र को ऋण की चुकौती	8,141	8,698	8,187	8,433	46	0.6	-511	-5.9	246	3.0
ख) केंद्र के ऋण पर ब्याज का भुगतान	13,150	14,406	13,183	12,914	33	0.3	-1,223	-8.5	-269	-2.0
VI. केंद्र से संसाधनों का निवल अंतरण (IV-V)	1,57,581	1,99,132	2,07,519	2,47,075	49,938	31.7	8,387	4.2	39,556	19.1

* : केंद्र से प्राप्त अर्थोपाय अग्रिम शामिल हैं।

टिप्पणी : जम्मू और कश्मीर, झारखंड के वर्ष 2004-05 (लेखा) के आंकड़े संशोधित अनुमान से संबंधित हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

विवरण 5 : विकासात्मक व्यय - मुख्य शीर्ष							
(करोड़ रुपए)							
मद	2005-06 (लेखा)	2006-07 (बजट अनुमान)	2006-07 (संशोधित अनुमान)	2007-08 (बजट अनुमान)	प्रतिशत घट-बढ़		
					स्तंभ 2 की तुलना में स्तंभ 4	स्तंभ 3 की तुलना में स्तंभ 4	स्तंभ 4 की तुलना में स्तंभ 5
1	2	3	4	5	6	7	8
I. विकास व्यय							
(राजस्व और पूंजी) (क + ख)	3,16,018	3,72,850	4,04,601	4,52,106	28.0	8.5	11.7
क. समाज सेवाएं (1 से 11)	1,62,689	1,95,724	2,08,278	2,33,392	28.0	6.4	12.1
	(49.3)	(50.9)	(49.7)	(49.9)			
1. शिक्षा, खेल-कूद, कला और संस्कृति	79,863	94,096	97,493	1,06,845	22.1	3.6	9.6
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	22,031	28,021	28,435	31,283	29.1	1.5	10.0
3. जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	13,646	15,205	16,325	18,495	19.6	7.4	13.3
4. आवास निर्माण	2,747	4,098	4,607	5,523	67.7	12.4	19.9
5. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	11,698	13,966	15,452	17,830	32.1	10.6	15.4
6. श्रम और श्रमिक कल्याण	1,656	2,017	2,346	2,576	41.7	16.3	9.8
7. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	9,476	13,360	14,097	17,251	48.8	5.5	22.4
8. पौष्टिक आहार	4,022	5,100	5,254	5,746	30.6	3.0	9.4
9. प्राकृतिक आपदा राहत	8,570	4,517	8,006	4,978	-6.6	77.3	-37.8
10. शहरी विकास	6,988	12,592	13,568	19,722	94.1	7.8	45.4
11. अन्य*	1,991	2,753	2,695	3,144	35.4	-2.1	16.6
ख. आर्थिक सेवाएं (1 से 9)	1,53,330	1,77,126	1,96,322	2,18,714	28.0	10.8	11.4
	(46.5)	(46.1)	(46.8)	(46.8)			
1. कृषि और संबद्ध गतिविधियां	22,699	26,892	30,077	32,757	32.5	11.8	8.9
2. ग्रामीण विकास	21,539	25,436	27,929	30,881	29.7	9.8	10.6
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	2,093	3,257	3,846	3,488	83.8	18.1	-9.3
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	37,531	45,369	48,011	53,639	27.9	5.8	11.7
5. ऊर्जा	31,870	28,886	35,567	38,971	11.6	23.1	9.6
6. उद्योग और खनिज	4,797	4,874	5,835	6,886	21.6	19.7	18.0
7. परिवहन और संचार	25,096	32,361	35,020	39,270	39.5	8.2	12.1
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	310	509	475	564	53.5	-6.5	18.6
9. सामान्य आर्थिक सेवाएं	7,396	9,543	9,563	12,259	29.3	0.2	28.2

विवरण 5 : विकासात्मक व्यय - मुख्य शीर्ष

(करोड़ रुपए)

मदें	2005-06 (लेखा)	2006-07 (बजट अनुमान)	2006-07 (संशोधित अनुमान)	2007-08 (बजट अनुमान)	प्रतिशत घट-बढ़		
					स्तंभ 2 की तुलना में स्तंभ 4	स्तंभ 3 की तुलना में स्तंभ 4	स्तंभ 4 की तुलना में स्तंभ 5
1	2	3	4	5	6	7	8
II. राज्य सरकार द्वारा विकासात्मक प्रयोजन के लिए ऋण और अग्रिम (क + ख)							
क. सामाजिक सेवा (1 से 7)	14,026	11,758	14,449	15,589	3.0	22.9	7.9
	3,042	4,745	4,766	8,809	56.7	0.4	84.8
	(0.9)	(1.2)	(1.1)	(1.9)			
1. शिक्षा, खेल-कूद, कला और संस्कृति	53	20	16	15	-68.9	-18.2	-8.2
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	71	77	77	185	8.5	0.0	140.4
3. परिवार कल्याण	1	2	2	2	184.6	0.3	-3.9
4. जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	846	1,098	1,190	1,439	40.6	8.4	20.9
5. आवास व्यवस्था	750	1,265	1,256	4,956	67.3	-0.7	294.6
6. सरकारी कर्मचारी (आवास)	360	725	542	616	50.5	-25.3	13.8
7. अन्य @	961	1,559	1,684	1,597	75.2	8.0	-5.2
ख. आर्थिक सेवा (1 से 10)	10,984	7,014	9,683	6,780	-11.8	38.1	-30.0
	(3.3)	(1.8)	(2.3)	(1.4)			
1. फसल उत्पादन	30	11	108	12	264.7	908.5	-88.9
2. मिट्टी और जल परिरक्षण	3	-	2	-	-39.4	-	-100.0
3. खाद्य संग्रहण और भंडारण	346	321	831	784	140.4	159.4	-5.7
4. सहकारिता	2,320	1,197	2,154	389	-7.2	80.0	-81.9
5. बृहत् एवं लघु सिंचाई आदि	11	18	7	8	-34.8	-57.8	8.8
6. ऊर्जा परियोजनाएं	6,828	4,354	4,988	3,966	-26.9	14.6	-20.5
7. ग्रामीण और लघु उद्योग	124	71	90	78	-27.5	27.4	-13.6
8. अन्य उद्योग और खनिज	618	481	731	512	18.4	51.9	-30.0
9. ग्रामीण विकास	6	7	7	4	13.8	4.7	-50.4
10. अन्य +	697	555	763	1,028	9.5	37.6	34.7
III. कुल विकासात्मक व्यय (I + II)	3,30,044	3,84,608	4,19,050	4,67,696	27.0	9.0	11.6

‘-’ : शून्य / नगण्य

* : सूचना और प्रचार पर व्यय शामिल है।

@ : शहरी विकास, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण आदि शामिल।

+ : वन, मत्स्य पालन, पशुपालन, सड़क और जल परिवहन सेवाएं आदि शामिल।

टिप्पणी : 1. कोष्ठकों के आंकड़े कुल विकासात्मक व्यय के प्रतिशत हैं।

2. जम्मू एवं कश्मीर तथा झारखंड के 2005-06 (लेखा) के आंकड़े संशोधित अनुमानों से संबंधित हैं।

स्रोत : राज सरकारों के बजट दस्तावेज।

विवरण 6 : विकासेतर व्यय : मुख्य शीर्ष							
(करोड़ रूपए)							
मर्दे	2005-06 (लेखा)	2006-07 (बजट अनुमान)	2006-07 (संशोधित अनुमान)	2007-08 (बजट अनुमान)	प्रतिशत घट-बढ़		
					स्तंभ 2 की तुलना में स्तंभ 4	स्तंभ 3 की तुलना में स्तंभ 4	स्तंभ 4 की तुलना में स्तंभ 5
1	2	3	4	5	6	7	8
I. राजस्व लेखा पर विकासेतर व्यय							
(सामान्य सेवाएं) (i से v)	1,86,885	2,21,970	2,19,709	2,40,585	17.6	-1.0	9.5
i. राज्य के घटक	4,127	5,010	5,343	5,457	29.4	6.6	2.1
ii. राजकोषीय सेवा	9,606	10,728	11,568	12,185	20.4	7.8	5.3
iii. ब्याज भुगतान एवं ऋण शोध (1+2)	90,453	1,03,915	1,03,430	1,09,887	14.3	-0.5	6.2
1. ऋण की कटौती या उसे टालने के लिए विनियोग	6,430	6,620	7,726	7,212	20.2	16.7	-6.7
2. ब्याज भुगतान	84,024	97,295	95,704	1,02,675	13.9	-1.6	7.3
iv. प्रशासनिक सेवा (1 से 5)	34,298	42,985	42,511	49,066	23.9	-1.1	15.4
1. सचिवालय सामान्य सेवा	1,491	2,905	2,927	3,733	96.3	0.8	27.6
2. जिला प्रशासन	3,935	4,855	4,991	5,296	26.8	2.8	6.1
3. पुलिस	21,214	23,443	24,612	26,469	16.0	5.0	7.5
4. लोक निर्माण	3,039	4,038	4,225	4,431	39.0	4.6	4.9
5. अन्य@	4,618	7,744	5,756	9,136	24.6	-25.7	58.7
v. पेंशन और विविध सामान्य सेवाएं	48,401	59,331	56,857	63,990	17.5	-4.2	12.5
II. पूंजी लेखा पर विकासेतर व्यय (1+2)	3,135	4,649	4,766	5,545	52.0	2.5	16.3
1. विकासेतर (सामान्य सेवा)	2,737	4,168	4,275	4,941	56.2	2.6	15.6
2. विकासेतर उद्देश्यों के लिए ऋण (क + ख) क) सरकारी कर्मचारी (आवास छोड़कर)	399	480	492	604	23.4	2.4	22.9
b) विविध	155	136	150	246	-3.3	10.5	64.1
III. कुल विकासेतर व्यय (I + II)	1,90,021	2,26,618	2,24,475	2,46,130	18.1	-0.9	9.6
IV. कुल प्राणियों के प्रतिशत के रूप में III	31.9	34.3	33.3	32.1			
V. कुल संवितरण के प्रतिशत के रूप में III	33.8	34.6	32.6	32.1			

@ लोक सेवा आयोग, खजाना और प्रशासन, जेल आदि पर व्यय सहित।
टिप्पणी : जम्मू और कश्मीर एवं झारखंड के 2005-06 (लेखा) के आंकड़े संशोधित अनुमानों से संबंधित हैं।
स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

विवरण 7 : पूंजीगत प्राप्तियां

(करोड़ रुपए)

मदे	2005-06 (लेखा)	2006-07 (बजट अनुमान)	2006-07 (संशोधित अनुमान)	2007-08 (बजट अनुमान)	घट-बढ़					
					स्तंभ 2 की तुलना में स्तंभ 4		स्तंभ 3 की तुलना में स्तंभ 4		स्तंभ 4 की तुलना में स्तंभ 5	
					राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
कुल पूंजी प्राप्तियाँ (1 से 10)	1,64,607	1,51,782	1,43,307	1,61,112	-21,300	-12.9	-8,475	-5.6	17,805	12.4
1. बाह्य ऋण*	1,16,644	1,10,700	1,03,600	1,14,658	-13,044	-11.2	-7,100	-6.4	11,058	10.7
जिसमें से :										
बाजार ऋण (सकल)	22,795	28,268	24,978	36,818	2,183	9.6	-3,290	-11.6	11,840	47.4
एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ @	78,576	64,815	62,299	59,746	-16,277	-20.7	-2,516	-3.9	-2,553	-4.1
2. केंद्र से प्राप्त ऋण@	8,097	13,525	10,197	14,918	2,101	25.9	-3,328	-24.6	4,721	46.3
3. ऋण और अग्रिमों की वसूली	8,904	5,326	8,482	4,592	-422	-4.7	3,156	59.3	-3,890	-45.9
4. अल्प बचत, भविष्य निधि, आदि (निवल)	10,463	10,336	10,887	12,396	423	4.0	551	5.3	1,509	13.9
5. आकस्मिक निधि (निवल)	838	57	244	178	-594	-70.9	188	-	-66	-27.1
6. आरक्षित निधि (निवल)**	5,228	4,365	4,778	4,235	-450	-8.6	413	9.5	-543	-11.4
7. जमा और अग्रिम (निवल)***	7,262	-1,154	1,775	1,515	-5,488	-75.6	2,928	-253.8	-260	-14.7
8. आकस्मिक निधि में विनियोग (निवल)	-801	-	-60	-	741	-92.5	-60	-	60	-100.0
9. विप्रेषण (निवल)	51	1,975	319	-44	268	520.3	-1,656	-83.8	-364	-113.9
10. अन्य #	7,920	6,652	3,085	8,665	-4,835	-61.0	-3,567	-53.6	5,580	180.9

* : नगण्य/शून्य

* इसमें बाजार ऋण, राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ, भूमि प्रतिकर बांड, भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से नकदी ऋण और कर्ज (निवल) तथा नाबार्ड के राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घवधि परिचालन) निधि, राष्ट्रीय सहाकारी विकास निगम, भारतीय जीवन बीमा निगम, खादी और ग्रामोद्योग आयोग आदि से दिए गए ऋण शामिल हैं, परन्तु धारि. बैंक से अर्धोपार्जित अग्रिम/ओवरड्राफ्ट शामिल नहीं हैं।

@ 1999-2000 से लेखा प्रणाली में परिवर्तन के साथ अल्प बचत में राज्यों का अंश, जो अब तक केंद्र से ऋण शोर्ष के अंतर्गत शामिल था, उसे आंतरिक ऋण में शामिल किया जाता है तथा केंद्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि में जारी विशेष प्रतिभूतियों के रूप में अलग मद में दर्शाया जाता है।

** आरक्षित निधि निवल में, ब्याज सहित आरक्षित निधियाँ (जैसे सरकारी वाणिज्यिक उपक्रमों की मूल्यह्रास आरक्षित निधियाँ) और ब्याज रहित आरक्षित निधियाँ (जैसे ऋण शोधन निधि, अकाल राहत निधि तथा सड़क और पुल निधि) शामिल हैं।

*** जमाराशियों और अग्रिमों तिवल में ब्याजवाली जमाराशि, (जैसे कि स्थानीय निधियों की जमाराशि) और ब्याज-रहित जमाराशि (जैसे सुरक्षा और डाक जमाराशि, तथा सिविल अग्रिम) शामिल हैं।

उच्चत और विविध (निवल) तथा अंतर-राज्य निपटान (निवल) और विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ शामिल हैं।

टिप्पणी : 1. जम्मू और कश्मीर, झारखंड के वर्ष 2004-05 (लेखा) के आंकड़े संशोधित अनुमान से संबंधित हैं।

2. पूंजीगत प्राप्तिओं में निवल आधार पर सार्वजनिक लेखा शामिल हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

विवरण 8 : राज्य सरकारों की बकाया देयताओं का विन्यास

(मार्चात में)

(करोड़ रुपए)

वर्ष	बाजार ऋण	पावर बांड	क्षतिपूर्ति और अन्य बांड	एनएस एसएफ	रिजर्व बैंक से डबल्यूएमए	एलआईसी से ऋण	जीआईसी से ऋण	नाबार्ड से ऋण	भा.स्टेट बैंक तथा अन्य बैंकों से ऋण	एनसीडीसी से ऋण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1991	15,652	-	60	-	1,050	718	241	278	303	630
1992	19,008	-	64	-	1,288	775	267	151	604	812
1993	22,480	-	72	-	1,073	894	295	25	733	885
1994	26,119	-	79	-	1,306	1,044	380	-85	807	893
1995	31,200	-	77	-	608	1,135	421	-79	943	1,071
1996	37,088	-	76	-	1,894	1,257	501	288	1,175	1,101
1997	43,602	-	74	-	2,557	1,418	-	821	1,183	1,108
1998	50,847	-	77	-	630	1,684	-	2,038	1,396	1,107
1999	61,477	-	66	-	4,858	2,203	-	3,147	2,057	1,204
2000	75,427	-	65	25,251	7,328	3,102	-	4,372	3,177	1,345
2001	86,767	-	62	56,352	6,559	4,216	-	6,501	4,390	1,439
2002	1,04,027	-	59	90,226	9,419	5,085	-	8,969	7,139	1,622
2003	1,33,066	-	63	1,39,193	2,512	6,621	-	11,546	7,896	1,611
2004	1,79,917	28,984	82	1,98,454	3,375	8,967	1,008	11,285	8,222	3,071
2005	2,13,480	29,883	83	2,82,200	1,498	11,994	990	8,226	9,486	1,577
2006	2,28,925	31,581	82	3,65,933	407	12,609	989	11,654	9,680	1,195
2007 (संअ)	2,42,777	26,051	82	4,25,310	477	12,433	989	18,341	9,314	1,423
2008 (बअ)	2,69,084	23,144	81	4,78,989	547	12,125	989	26,161	8,908	1,703

वर्ष	अन्य संस्थाओं से ऋण	बैंकों और वि.सं. से ऋण	कुल आंतरिक ऋण	केन्द्र से ऋण तथा अग्रिम	भविष्य निधि आदि	आरक्षित निधि	जमा तथा अग्रिम (निवल शेष)	आकस्मिकता निधि	कुल बकाया देयताएं
1	12	13	14=जोड़ (26)+13	15	16	17	18	19	20=जोड़ (14-19)
1991	343	2,513	19,274	73,521	16,861	4,734	12,769	995	1,28,155
1992	301	2,910	23,270	82,979	19,790	5,519	14,502	969	1,47,030
1993	396	3,228	26,853	91,626	23,515	6,698	18,911	762	1,68,365
1994	391	3,429	30,933	1,01,122	27,972	8,180	19,009	658	1,87,875
1995	499	3,989	35,875	1,15,238	32,894	9,013	22,963	489	2,16,473
1996	517	4,838	43,895	1,29,264	38,216	10,577	26,654	929	2,49,535
1997	575	5,106	51,338	1,46,168	44,095	12,350	31,436	511	2,85,898
1998	1,510	7,734	59,289	1,68,656	50,843	14,498	36,609	921	3,30,816
1999	2,178	10,789	77,190	1,99,007	63,256	17,320	42,357	445	3,99,576
2000	5,114	17,110	1,26,346	2,30,331	80,523	19,769	52,193	1,533	5,09,529
2001	12,667	29,213	1,81,623	2,38,655	93,629	22,868	59,328	714	594,147
2002	18,078	40,894	2,49,069	2,49,551	1,03,815	27,389	64,325	1,042	6,90,747
2003	23,524	51,198	3,33,753	2,49,179	1,13,678	32,188	65,036	314	7,86,430
2004	33,407	65,960	4,76,772	1,92,981	1,32,043	42,217	69,116	246	9,13,376
2005	35,648	67,921	5,95,064	1,60,045	1,45,936	52,311	75,290	527	10,29,174
2006	35,718	71,845	6,98,773	1,57,004	1,60,955	63,120	86,691	1,322	11,67,866
2007 संअ	42,700	85,200	7,79,896	1,59,014	1,71,842	67,898	88,466	1,566	12,68,683
2008 बअ	43,334	93,221	8,65,065	1,65,502	1,84,238	72,133	89,981	1,744	13,78,663

संअ : संशोधित अनुमान बअ : बजट अनुमान '-' : लागू नहीं / उपलब्ध नहीं / नगण्य।
टिप्पणी : 1. 1997 से 2003 तक 'अन्य संस्थाओं से ऋण' में 1 'अन्य ऋण' तथा 'जीआईसी से ऋण' भी शामिल हैं। 2004 से 'अन्य संस्थाओं से ऋण' में 'अन्य ऋण' शामिल हैं।
 2. चूकि अरुणाचल प्रदेश [(2006-07) (सं.अ) तथा 2007-08 (बअ)] और जम्मू एवं कश्मीर [(2006-07) (सं.अ) और 2007-08 (बअ)] के लिए आंतरिक ऋण के उन्मोचन के अलग-अलग ब्योरे उपलब्ध नहीं थे, अतः उसे 'अन्य संस्थाओं से ऋण' के तहत शामिल किया गया है।
स्रोत : 1. राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज
 2. भारत में केन्द्र और राज्य सरकारों के संयुक्त वित्त और राजस्व लेखे.
 3. वित्त मंत्रालय, भारत सरकार.
 4. रिजर्व बैंक के रिकॉर्ड.
 5. केन्द्र सरकार, भारत सरकार के वित्त लेखे.

अनुबंध 1 : प्रमुख राजकोषीय संकेतक (जारी)

(प्रतिशत)

राज्य	राज्य का कुल संवितरण /कुल संवितरण			सकल राजकोषीय घाटा/ सकल राजकोषीय घाटा व्यय			राजस्व धारा / सकल राजकोषीय घाटा		
	2005-06 (लेखा)	2006-07 (सं.अ.)	2007-08 (ब.अ.)	2005-06 (लेखा)	2006-07 (सं.अ.)	2007-08 (ब.अ.)	2005-06 लेखा	2006-07 (सं.अ.)	2007-08 (ब.अ.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. गैर विशेष श्रेणी									
1. आंध्र प्रदेश	8.6	8.8	10.2	19.2	14.1	11.8	0.8	0.7	0.4
2. बिहार	4.0	4.5	4.2	17.2	23.3	10.3	-2.2	10.9	-110.2
3. छत्तीसगढ़	1.7	2.0	2.1	4.6	10.7	10.4	-325.0	-117.6	-115.0
4. गोवा	0.5	0.5	0.6	21.8	21.8	18.0	3.6	4.9	1.1
5. गुजरात	6.1	5.6	5.4	20.0	16.8	15.4	6.4	-29.2	-27.5
6. हरियाणा	2.6	2.8	2.7	2.0	3.9	8.4	-424.8	100.8	-70.0
7. झारखंड	2.4	2.3	2.1	37.5	34.1	27.8	31.6	20.7	11.3
8. कर्नाटक	6.2	6.4	6.4	10.8	12.4	13.2	-62.7	-52.7	-25.8
9. केरल	3.8	4.2	4.0	21.5	30.5	25.7	74.8	71.0	70.7
10. मध्य प्रदेश	5.2	4.5	4.5	18.2	15.4	14.3	-0.7	-38.9	-43.1
11. महाराष्ट्र	12.2	11.4	10.8	26.7	20.6	14.0	21.8	20.4	-4.6
12. उड़ीसा	2.8	3.0	3.1	1.9	5.0	5.0	-174.0	-81.2	-102.0
13. पंजाब	3.6	3.9	3.9	13.5	21.9	20.7	46.8	39.4	30.9
14. राजस्थान	4.8	4.7	4.7	19.8	16.4	15.7	12.8	-1.9	-4.0
15. तमिलनाडु	6.9	7.7	7.3	6.2	14.1	14.9	-86.7	3.7	1.3
16. उत्तर प्रदेश	10.7	10.7	11.7	18.2	15.6	14.4	12.6	-30.3	-49.2
17. प. बंगाल	7.2	6.3	6.1	28.8	30.4	27.3	77.0	71.1	62.4
कुल I	89.4	89.3	89.7	18.2	18.0	15.4	14.3	9.9	-4.7
II. विशेष श्रेणी									
1. अरुणाचल प्रदेश	0.4	0.4	0.4	12.2	9.7	5.7	-71.0	-162.8	-116.0
2. असम	2.2	3.0	2.6	-3.0	18.6	10.8	424.3	17.3	-43.4
3. हिमाचल प्रदेश	1.5	1.3	1.2	9.9	13.8	15.6	-12.8	4.9	18.5
4. जम्मू और कश्मीर	2.4	2.0	2.1	12.1	10.9	13.2	-114.4	-131.0	-136.9
5. मणिपुर	0.5	0.5	0.4	10.1	7.1	3.7	-149.1	-340.7	-381.2
6. मेघालय	0.4	0.4	0.4	9.3	3.4	2.5	-40.5	-395.5	-617.5
7. मिजोरम	0.4	0.3	0.3	19.4	12.6	5.5	-16.5	-61.2	-143.3
8. नागालैंड	0.5	0.5	0.5	11.9	12.5	7.1	-67.4	-103.8	-257.4
9. सिक्किम	0.4	0.4	0.4	7.0	7.7	8.2	-132.2	-222.8	-155.0
10. त्रिपुरा	0.6	0.5	0.6	3.5	12.9	15.5	-574.4	-116.3	-94.9
11. उत्तराखंड	1.4	1.3	1.4	25.3	21.5	13.9	3.9	-19.1	-64.6
कुल II	10.6	10.7	10.3	9.8	14.3	11.4	-92.8	-46.9	-85.1
कुल जोड़ (I+II)	100.0	100.0	100.0	17.3	17.6	14.9	7.8	4.9	-11.1
<i>जापान मद</i>									
1. रा.रा. क्षेत्र दिल्ली	-	-	-	-2.3	6.1	10.2	1,765.5	-532.4	-305.6
2. पुदुचेरी	-	-	-	13.4	21.7	28.2	-2.7	27.0	24.7

अनुबंध 1 : प्रमुख राजकोषीय संकेतक (जारी)

(प्रतिशत)

राज्य	पूँजी परिव्यय/सकल राजकोषीय घाटा			निवल ऋण/सकल राजकोषीय घाटा			विकासेतर व्यय/कुल संवितरण		
	2005-06 लेखा	2006-07 संअ	2007-08 बअ	2005-06 लेखा	2006-07 संअ	2007-08 बअ	2005-06 लेखा	2006-07 संअ	2007-08 बअ
1	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I. गैर विशेष श्रेणी									
1. आंध्र प्रदेश	92.3	129.2	149.3	6.9	8.7	59.3	28.1	26.4	24.3
2. बिहार	56.3	83.4	202.2	45.9	5.7	8.0	38.1	33.7	32.4
3. छत्तीसगढ़	349.8	178.6	227.1	75.2	39.0	-12.2	22.8	22.5	23.8
4. गोवा	96.3	94.8	97.9	0.1	0.2	1.0	29.5	27.9	40.6
5. गुजरात	111.0	134.5	124.0	-17.2	-5.2	3.5	33.5	30.9	33.4
6. हरियाणा	564.4	313.4	170.5	-39.6	-314.2	-0.5	32.0	26.0	26.4
7. झारखंड	45.2	52.3	66.6	23.2	27.0	22.0	25.5	22.9	28.0
8. कर्नाटक	157.9	149.3	130.2	4.8	3.4	6.7	29.4	28.4	24.9
9. केरल	19.5	19.4	17.8	5.6	9.6	11.5	41.8	39.3	40.0
10. मध्य प्रदेश	144.9	114.1	126.4	-44.1	24.8	16.8	26.6	29.1	29.5
11. महाराष्ट्र	57.2	67.3	95.8	21.0	12.2	8.8	31.8	34.4	36.6
12. उड़ीसा	375.5	176.4	186.7	-101.4	4.7	15.3	43.9	39.8	36.1
13. पंजाब	57.1	59.0	70.1	-3.9	1.6	-1.0	51.9	46.8	45.8
14. राजस्थान	83.4	105.8	99.7	3.8	-3.8	4.3	32.8	33.2	32.6
15. तमिलनाडु	180.2	96.6	100.8	6.5	-0.3	-2.1	33.6	29.3	30.1
16. उत्तर प्रदेश	86.4	127.1	147.6	1.0	3.2	1.6	35.5	33.9	30.3
17. प. बंगाल	17.2	18.2	23.7	5.8	10.7	13.9	40.4	41.8	40.7
कुल I	79.5	87.0	103.5	6.2	6.0	11.4	34.0	32.7	32.1
II. विशेष श्रेणी									
1. अरुणाचल प्रदेश	171.0	261.5	214.3	-	1.3	1.7	20.8	21.8	22.1
2. असम	-305.1	79.9	138.0	-19.1	2.9	5.5	34.9	31.6	30.6
3. हिमाचल प्रदेश	113.9	96.2	81.1	-1.1	-1.0	0.5	33.4	34.9	35.6
4. जम्मू और कश्मीर	211.7	227.9	234.1	2.7	3.2	2.9	30.9	33.0	31.5
5. मणिपुर	227.0	412.9	469.5	22.1	27.8	11.7	33.1	27.4	27.1
6. मेघालय	144.9	466.5	700.1	-4.4	29.0	17.4	31.8	27.3	23.6
7. मिजोरम	113.7	167.3	254.0	2.8	-6.2	-10.7	25.6	28.4	30.2
8. नागालैंड	169.0	203.7	356.1	-1.6	-	1.3	35.7	33.8	38.3
9. सिक्किम	232.3	323.1	255.2	-0.1	-0.3	-0.1	55.0	48.3	53.0
10. त्रिपुरा	675.8	216.2	194.8	-1.4	0.1	0.2	35.1	36.4	43.5
11. उत्तराखंड	90.8	120.0	162.8	5.3	-1.0	1.8	28.9	28.4	27.7
कुल II	188.1	145.0	182.5	4.7	2.0	2.7	32.7	32.0	32.2
कुल जोड़ (I+II)	86.1	92.1	109.7	6.1	5.7	10.7	33.8	32.6	32.1
जापन मद :									
1. रा.रा. क्षेत्र दिल्ली	-612.9	247.8	197.4	-1,052.7	384.6	208.1	25.8	20.5	23.1
2. पुदुचेरी	103.5	74.1	75.6	-0.8	-1.1	-0.3	18.8	20.8	18.3

अनुबंध 1 : प्रमुख राजकोषीय संकेतक (जारी)

(प्रतिशत)

राज्य	विकासेतर राजस्व व्यय/ राजस्व प्राप्तियां			व्याज भुगतान/ राजस्व व्यय			राज्यों का स्व कर-राजस्व/ राजस्व व्यय		
	2005-06 लेखा	2006-07 संअ	2007-08 बअ	2005-06 लेखा	2006-07 संअ	2007-08 बअ	2005-06 लेखा	2006-07 संअ	2007-08 बअ
1	20	21	22	23	24	25	26	27	28
I. गैर विशेष श्रेणी									
1. आंध्र प्रदेश	38.7	35.2	34.3	20.1	17.7	15.7	55.0	55.9	57.1
2. बिहार	47.8	44.5	37.5	20.6	16.4	16.3	20.1	19.2	20.7
3. छत्तीसगढ़	24.7	25.4	27.6	12.9	10.4	10.3	54.3	52.0	51.7
4. गोवा	34.3	32.9	48.0	18.3	16.8	14.7	50.1	46.2	36.4
5. गुजरात	45.0	39.0	41.6	24.1	24.4	24.7	61.6	64.5	66.6
6. हरियाणा	33.1	30.5	29.3	16.6	13.7	14.9	71.8	63.7	73.1
7. झारखंड	40.5	34.7	38.1	7.4	6.9	14.9	29.6	27.8	29.3
8. कर्नाटक	33.1	32.2	28.9	13.4	12.0	12.3	66.4	67.9	68.2
9. केरल	57.2	59.2	57.2	20.6	17.8	17.9	53.1	48.2	51.7
10. मध्य प्रदेश	36.9	35.5	36.0	16.6	16.9	16.4	44.3	44.0	45.1
11. महाराष्ट्र	44.8	44.2	43.7	17.9	18.5	17.9	64.2	63.5	67.7
12. उड़ीसा	48.5	44.8	41.9	27.2	19.4	22.0	36.8	34.0	35.9
13. पंजाब	62.0	62.3	59.2	20.4	19.4	17.7	49.4	44.2	44.2
14. राजस्थान	42.3	41.6	40.8	24.2	22.6	21.6	46.0	44.7	45.5
15. तमिलनाडु	38.0	38.0	36.9	14.2	13.5	12.4	72.9	68.9	69.4
16. उत्तर प्रदेश	46.1	40.2	35.8	19.5	18.7	16.3	40.5	43.0	41.0
17. प. बंगाल	68.9	66.4	61.5	31.3	30.7	30.4	33.4	35.3	37.7
कुल I	44.3	41.9	40.2	19.7	18.3	17.7	51.7	51.2	52.6
II. विशेष श्रेणी									
1. अरुणाचल प्रदेश	26.4	24.3	24.5	9.4	10.8	9.6	3.7	3.5	3.7
2. असम	34.9	40.0	35.5	14.3	12.8	11.6	30.7	21.4	25.1
3. हिमाचल प्रदेश	43.0	44.9	45.5	24.2	23.8	23.5	23.2	21.7	25.8
4. जम्मू और कश्मीर	32.5	34.5	33.6	13.4	11.9	11.8	17.4	18.9	20.7
5. मणिपुर	29.9	27.6	30.5	11.9	12.4	12.5	4.7	5.0	5.4
6. मेघालय	35.8	27.9	23.8	11.4	10.1	8.2	15.1	12.7	12.1
7. मिजोरम	32.8	32.9	33.1	11.6	12.5	12.1	3.5	3.5	3.8
8. नागालैंड	41.5	38.2	36.7	12.3	11.7	12.6	5.1	5.1	5.2
9. सिक्किम	59.2	52.2	57.8	5.8	5.9	5.4	8.3	6.6	6.1
10. त्रिपुरा	35.6	38.0	39.6	15.5	15.2	12.9	12.4	13.4	13.3
11. उत्तराखंड	36.6	35.0	31.2	14.4	15.6	14.3	31.8	36.2	34.0
कुल II	36.3	37.2	35.6	14.7	14.0	13.2	20.3	18.9	20.6
कुल जोड़ (I+II)	43.4	41.3	39.7	19.2	17.8	17.3	48.5	47.9	49.4
जापन मद :									
1. रा.रा. क्षेत्र दिल्ली	20.5	23.4	22.3	25.7	27.5	26.8	137.2	125.3	121.7
2. पुदुचेरी	21.1	25.8	25.1	9.6	9.7	9.4	26.7	27.7	27.3

अनुबंध 1 : प्रमुख राजकोषीय संकेतक (समाप्त)

(प्रतिशत)

राज्य	राज्यों के अपने करेतर राजस्व/ राजस्व व्यय			संकल अंतरण/ कुल संवितरण			ऋण शोधन/ संकल अंतरण		
	2005-06 लेखा	2006-07 संअ	2007-08 बअ	2005-06 लेखा	2006-07 संअ	2007-08 बअ	2005-06 लेखा	2006-07 संअ	2007-08 बअ
1	29	30	31	32	33	34	35	36	37
I. गैर विशेष श्रेणी									
1. आंध्र प्रदेश	13.4	12.2	12.5	23.7	25.5	23.2	17.6	15.7	11.6
2. बिहार	2.9	1.5	1.7	60.9	57.9	68.5	10.7	6.7	4.8
3. छत्तीसगढ़	16.5	13.9	14.9	37.2	38.7	37.5	10.1	3.5	4.7
4. गोवा	34.7	35.6	47.7	11.0	17.4	14.3	26.4	15.7	14.5
5. गुजरात	13.2	14.0	12.4	21.5	22.4	20.7	20.7	16.8	17.6
6. हरियाणा	19.5	18.0	17.4	15.9	12.6	13.6	12.7	11.3	9.8
7. झारखंड	14.3	12.8	13.2	29.2	35.5	39.4	11.6	8.2	7.2
8. कर्नाटक	13.8	12.2	4.7	25.4	24.8	28.9	12.8	10.7	9.0
9. केरल	5.1	4.2	4.2	24.5	25.2	25.7	19.5	14.4	14.4
10. मध्य प्रदेश	10.7	10.1	9.3	33.0	41.7	43.5	11.4	8.9	7.9
11. महाराष्ट्र	11.4	8.4	8.5	13.8	19.5	21.2	14.6	5.7	6.3
12. उड़ीसा	11.3	11.0	8.6	47.9	53.7	56.1	16.8	10.4	12.2
13. पंजाब	24.9	26.6	26.9	16.9	15.9	19.1	13.3	6.1	4.5
14. राजस्थान	12.7	12.6	11.9	32.5	35.3	37.0	11.2	8.8	7.7
15. तमिलनाडु	8.1	7.1	6.4	21.9	19.2	21.7	8.6	9.1	7.1
16. उत्तर प्रदेश	6.3	9.5	10.1	41.4	41.8	44.6	12.6	9.9	7.3
17. प. बंगाल	3.3	3.4	3.4	31.8	32.6	34.6	18.8	19.1	16.4
कुल I	10.9	10.4	9.8	28.3	30.0	31.9	14.0	10.5	9.0
II. विशेष श्रेणी									
1. अरुणाचल प्रदेश	12.1	10.6	8.1	73.4	77.5	77.0	12.0	1.5	2.7
2. असम	13.9	9.7	10.5	61.3	53.6	57.3	3.8	8.9	4.9
3. हिमाचल प्रदेश	10.7	12.6	10.6	51.2	51.6	49.4	3.0	3.0	2.9
4. जम्मू और कश्मीर	7.5	6.0	8.6	70.7	72.0	67.6	2.0	1.1	1.0
5. मणिपुर	3.8	7.5	6.2	81.8	77.9	78.8	7.5	13.3	13.7
6. मेघालय	8.7	8.2	6.6	67.3	76.5	79.4	4.6	3.6	2.3
7. मिजोरम	7.6	6.6	5.5	68.5	76.2	81.6	4.2	3.4	2.8
8. नागालैंड	4.7	3.6	4.0	77.2	77.0	81.1	7.4	2.2	1.8
9. सिक्किम	56.0	53.1	58.1	38.8	47.0	40.6	5.8	4.2	3.1
10. त्रिपुरा	2.7	2.7	2.6	80.8	73.7	71.6	3.2	1.6	1.6
11. उत्तराखंड	11.6	9.7	10.9	40.6	43.1	49.9	2.4	1.7	1.2
कुल II	11.5	10.1	10.9	62.2	61.0	61.8	4.0	4.4	3.1
कुल जोड़ (I+II)	10.9	10.4	10.0	31.8	33.3	35.0	11.9	9.3	8.0
जापन मद :									
1. रा. रा. क्षेत्र दिल्ली	21.5	17.1	17.1	4.5	4.1	7.9	363.8	259.1	183.1
2. पुदुचेरी	28.5	27.1	26.0	53.6	49.2	41.4	22.0	23.7	25.9

संअ : संशोधित अनुमान बअ : बजट अनुमान '-' : शून्य/नगण्य/लागू नहीं। राराक्षे : राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र

टिप्पणी : 1. ऋणात्मक (-) चिन्ह घाटा संकेतकों में अधिशेष दर्शाता है।

2. झारखंड तथा जम्मू व कश्मीर के वर्ष 2005-06 (लेखा) के आंकड़े संशोधित अनुमान से संबंधित हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

अनुबंध 2 : राज्य सरकारों की कुल बकाया देयताएं

(मार्च के अंत में)

(करोड़ रुपये)

राज्य	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. गैर विशेष श्रेणी									
1. आंध्र प्रदेश	8,150	9,454	11,063	12,940	15,224	17,778	20,201	23,313	28,301
2. बिहार	10,633	11,777	13,551	14,752	16,701	18,695	20,752	23,584	27,109
3. छत्तीसगढ़	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. गोवा	903	967	1,049	1,115	1,183	1,275	1,402	1,568	1,936
5. गुजरात	8,076	9,361	10,502	11,467	12,999	14,889	17,006	20,419	25,068
6. हरियाणा	3,076	3,471	3,899	4,424	5,036	6,171	7,004	8,110	10,250
7. झारखंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. कर्नाटक	5,898	6,271	7,160	8,815	9,952	11,074	12,739	14,697	17,455
9. केरल	4,983	5,833	6,682	7,595	9,280	10,719	12,314	14,469	17,333
10. मध्य प्रदेश	7,777	8,803	11,442	10,792	12,165	13,891	15,948	17,975	21,957
11. महाराष्ट्र	12,878	15,279	16,911	18,787	21,979	26,379	30,602	37,052	44,264
12. उड़ीसा	5,156	6,065	6,792	7,689	8,914	10,295	11,996	13,636	16,281
13. पंजाब	7,071	8,131	9,524	10,874	12,454	14,040	15,618	17,904	21,823
14. राजस्थान	6,580	7,647	8,654	10,038	11,866	14,137	16,742	19,229	24,136
15. तमिलनाडु	7,044	8,341	10,206	11,616	13,541	15,134	17,257	19,512	23,189
16. उत्तर प्रदेश	19,760	22,978	26,366	29,693	34,253	38,998	45,630	52,428	62,103
17. प. बंगाल	8,857	10,135	11,281	12,926	15,128	17,716	21,114	25,173	32,192
II. विशेष श्रेणी									
1. अरुणाचल प्रदेश	280	287	262	281	319	397	480	477	566
2. असम	4,341	4,658	4,670	4,675	5,228	6,326	6,402	6,469	6,765
3. हिमाचल प्रदेश	1,329	1,492	1,833	1,996	2,556	3,267	3,661	4,298	6,383
4. जम्मू और कश्मीर	3,358	3,808	4,014	4,510	4,448	4,628	5,294	5,736	6,429
5. मणिपुर	390	503	531	564	607	676	721	1,040	1,328
6. मेघालय	218	245	301	381	450	490	475	658	862
7. मिजोरम	330	314	322	378	444	538	574	771	842
8. नागालैंड	409	476	520	586	624	781	753	876	1,063
9. सिक्किम	142	162	199	222	263	292	228	260	415
10. त्रिपुरा	517	573	631	759	856	948	986	1,163	1,525
11. उत्तराखंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-
सभी राज्य	1,28,155	1,47,030	1,68,365	1,87,875	2,16,473	2,49,535	2,85,898	3,30,816	3,99,576
ज्ञापन मद :									
1. रा.रा. क्षेत्र दिल्ली	-	-	-	117	627	1,354	2,205	3,081	3,788
2. पुदुचेरी	-	-	-	-	-	-	-	-	-

अनुबंध 2 : राज्य सरकारों की कुल बकाया देयताएं									
(मार्च के अंत में)									
(करोड़ रुपये)									
राज्य	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007(संअ)	2008(बअ)
1	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I. गैर विशेष श्रेणी									
1. आंध्र प्रदेश	34,829	41,809	48,637	56,030	75,361	90,399	1,03,177	1,11,279	1,19,925
2. बिहार	32,866	29,942	34,135	38,254	39,999	43,183	47,290	48,514	51,675
3. छत्तीसगढ़	-	6,967	8,121	9,592	10,825	12,133	13,190	14,282	15,801
4. गोवा	2,510	2,822	3,746	3,503	3,885	4,417	5,126	5,914	6,667
5. गुजरात	34,190	42,781	47,919	55,175	62,307	71,334	83,024	89,217	95,377
6. हरियाणा	13,810	14,650	17,726	19,948	22,450	24,900	26,979	28,451	30,687
7. झारखंड	-	8,448	9,979	11,887	10,036	13,090	16,924	21,366	25,601
8. कर्नाटक	21,045	25,301	31,337	36,020	39,959	44,345	49,587	53,407	56,366
9. केरल	22,214	26,259	29,536	34,312	39,151	43,695	47,883	54,568	61,963
10. मध्य प्रदेश	25,933	22,127	26,043	29,882	37,967	44,586	49,647	53,830	58,846
11. महाराष्ट्र	58,813	67,601	78,541	89,952	1,06,838	1,24,554	1,46,228	161,113	1,75,090
12. उड़ीसा	20,614	24,220	28,161	30,869	33,850	36,982	40,724	41,778	42,726
13. पंजाब	26,610	30,763	35,730	40,125	42,819	47,071	51,140	55,392	61,008
14. राजस्थान	31,684	35,541	41,634	47,534	53,109	59,968	66,239	71,090	76,752
15. तमिलनाडु	29,568	34,541	39,069	44,471	51,759	55,968	63,848	68,434	76,523
16. उत्तर प्रदेश	77,934	83,098	95,822	1,05,126	1,24,063	1,36,273	1,54,061	1,71,404	1,85,425
17. प. बंगाल	44,042	54,929	66,396	78,325	89,472	97,342	1,14,419	1,22,895	1,34,786
II. विशेष श्रेणी									
1. अरुणाचल प्रदेश	735	739	790	966	1,736	2,069	2,412	2,801	3,012
2. असम	8,666	10,227	11,988	13,099	15,688	17,043	18,401	19,352	21,051
3. हिमाचल प्रदेश	7,840	8,705	10,055	12,228	14,379	16,483	17,390	18,415	19,769
4. जम्मू और कश्मीर	7,739	9,101	9,624	10,528	14,728	15,877	18,427	20,438	22,168
5. मणिपुर	1,614	1,870	1,870	1,890	2,537	3,365	4,316	4,399	4,548
6. मेघालय	1,117	1,388	1,528	1,820	2,123	2,410	2,610	2,870	3,206
7. मिजोरम	1,178	1,375	1,713	1,967	2,606	2,922	3,154	3,418	3,611
8. नागालैंड	1,389	1,604	1,884	2,385	2,389	2,638	3,006	3,370	3,506
9. सिक्किम	593	852	929	989	1,010	1,150	1,289	1,417	1,669
10. त्रिपुरा	1,993	2,384	2,817	3,278	4,057	4,853	5,358	5,578	5,917
11. उत्तराखंड	-	4,106	5,018	6,274	8,273	10,123	12,017	13,691	14,988
सभी राज्य	5,09,529	5,94,148	6,90,747	7,86,427	9,13,376	1,29,174	1,16,866	12,68,683	13,78,663
जापन मद :									
1. रा.रा. क्षेत्र दिल्ली	6,348	7,924	9,777	12,494	14,149	15,836	21,567	25,568	24,402
2. पुदुचेरी	-	-	-	-	1,310	1,549	2,619	3,335	3,595
<p>संअ : संशोधित अनुमान बअ : बजट अनुमान '-' : शून्य/नागण्य</p> <p>स्रोत : 1. भारत में केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त वित्त और राजस्व लेखे, सीएजो. 2. केंद्र सरकार, सीजीए, भारत सरकार के वित्त लेखे 3. वित्त मंत्रालय, भारत सरकार. 4. रिजर्व बैंक के रिकॉर्ड 5. राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज</p>									

अनुबंध 3 : सकल न्यागमन और अंतरण								
राज्य	जीडीटी (करोड़ रुपये)				जीएसडीपी की तुलना में जीडीटी (प्रतिशत)			
	1990-95 (औसत)	1995-00 (औसत)	2000-05 (औसत)	2005-08 (औसत)	1990-95 (औसत)	1995-00 (औसत)	2000-05 (औसत)	2005-08 (औसत)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
गैर विशेष श्रेणी								
1. आंध्र प्रदेश	3,720	6,794	10,142	15,048	7.4	6.8	6.0	5.6
2. बिहार	4,428	7,274	10,552	17,912	12.7	12.1	19.0	26.4
3. छत्तीसगढ़	-	-	2,264	4,984	-	-	6.7	10.0
4. गोवा	201	228	276	499	10.6	4.8	3.1	3.5
5. गुजरात	2,016	4,006	5,819	8,238	4.6	4.3	4.2	3.4
6. हरियाणा	758	1,531	1,429	2,528	3.8	4.0	2.1	2.2
7. झारखंड	-	-	4,293	5,323	-	-	11.3	9.8
8. कर्नाटक	2,199	3,867	6,502	11,359	6.0	5.2	5.3	5.8
9. केरल	1,707	2,529	3,798	6,782	7.3	5.1	4.6	4.9
10. मध्य प्रदेश	3,222	5,574	7,628	12,436	7.7	6.7	8.7	10.0
11. महाराष्ट्र	3,754	6,362	5,948	14,067	4.0	3.3	2.0	2.8
12. उड़ीसा	2,233	3,679	6,364	10,567	13.8	11.5	13.4	14.6
13. पंजाब	1,800	2,393	1,964	4,482	7.1	4.8	2.6	3.8
14. राजस्थान	2,826	4,848	7,036	11,205	9.1	7.6	7.5	8.0
15. तमिलनाडु	3,218	4,671	6,191	10,277	6.5	4.6	3.9	4.2
16. उत्तर प्रदेश	7,983	12,481	17,541	31,808	10.2	8.5	8.7	10.4
17. प. बंगाल	3,527	6,853	9,229	14,378	7.2	7.0	5.5	6.0
विशेष श्रेणी								
1. अरुणाचल प्रदेश	456	833	1,165	2,021	62.7	60.7	53.5	66.0
2. असम	2,098	3,487	5,186	9,918	15.3	14.9	13.8	19.3
3. हिमाचल प्रदेश	988	2,005	2,801	4,596	22.8	21.9	17.0	16.8
4. जम्मू और कश्मीर	1,933	4,127	6,452	10,107	34.9	39.0	36.3	40.1
5. मणिपुर	497	875	1,894	2,486	44.8	40.2	53.5	47.4
6. मेघालय	415	675	1,118	2,037	31.1	26.4	25.0	32.0
7. मिजोरम	428	725	1,100	1,698	73.5	62.5	48.2	45.1
8. नागालैंड	585	990	1,686	2,515	52.8	44.3	36.5	33.5
9. सिक्किम	176	398	689	1,109	54.8	58.2	55.8	57.3
10. त्रिपुरा	598	1,110	1,803	2,870	37.6	33.9	27.5	27.8
11. उत्तराखंड	-	-	1,813	4,149	-	-	11.4	13.6
कुल	51,765	88,314	131,827	225,394	6.8	5.7	5.2	5.5
जापन मद :								
1. रा.रा. क्षेत्र दिल्ली	368	1,082	796	939	1.5	2.8	1.1	0.8
2. पुदुचेरी	-	-	-	1,175	-	-	-	18.7

अनुबंध 3 : सकल न्यागमन और अंतरण*

राज्य	सकल संवितरण की तुलना में जीडीपी (प्रतिशत)			
	1990-95 (औसत)	1995-00 (औसत)	2000-05 (औसत)	2005-08 (औसत)
1	10	11	12	13
गैर विशेष श्रेणी				
1. आंध्र प्रदेश	40.4	37.0	28.5	24.2
2. बिहार	58.5	62.4	59.2	62.4
3. छत्तीसगढ़	-	-	36.1	37.8
4. गोवा	41.0	19.1	11.9	14.2
5. गुजरात	26.2	26.0	19.8	21.6
6. हरियाणा	21.7	20.0	12.1	14.0
7. झारखंड	-	-	44.0	34.7
8. कर्नाटक	30.9	28.8	25.6	26.4
9. केरल	37.4	26.9	22.8	25.2
10. मध्य प्रदेश	42.0	39.0	36.7	39.4
11. महाराष्ट्र	26.4	23.0	11.2	18.1
12. उड़ीसा	56.1	49.6	46.9	52.6
13. पंजाब	37.6	25.8	11.4	17.3
14. राजस्थान	43.4	37.5	31.4	34.9
15. तमिलनाडु	33.9	27.0	20.1	20.9
16. उत्तर प्रदेश	51.0	46.5	36.9	42.6
17. प. बंगाल	48.7	46.5	30.4	33.0
विशेष श्रेणी				
1. अरुणाचल प्रदेश	88.1	87.4	71.6	75.9
2. असम	65.2	68.3	52.5	57.4
3. हिमाचल प्रदेश	60.2	59.3	42.3	50.8
4. जम्मू और कश्मीर	75.9	82.5	72.2	70.1
5. मणिपुर	81.4	76.7	89.0	79.5
6. मेघालय	76.6	73.7	68.1	74.4
7. मिजोरम	85.1	81.5	72.1	75.4
8. नागालैंड	75.7	77.5	81.9	78.5
9. सिक्किम	64.5	29.1	42.4	42.1
10. त्रिपुरा	83.1	82.2	69.8	75.4
11. उत्तराखंड	-	-	45.8	44.5
कुल	42.4	37.7	29.7	32.6
ज्ञापन मद :				
1. रा.रा. क्षेत्र दिल्ली	20.8	26.7	8.1	5.5
2. पुदुचेरी	-	-	-	48.1
* सकल न्यागमन और अंतरण (जीडीपी) में केंद्रीय कर, केंद्र से सहायता अनुदान तथा केंद्र से कुल ऋण का हिस्सा शामिल है। '-' : लागू नहीं / उपलब्ध नहीं जीएसडीपी : सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्त्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।				